JOINT COMMITTEE REPORT

in

National Green Tribunal (Central Bench)

Order dated 09.02.2026 in OA No. 36/2026 (CZ)

IN THE MATTER OF:

Chandrashekhar Gour

Vs.

State of Madhya Pradesh & Ors.

Date of Inspection: 10.03.2026

Joint Visit by Officials of MPPCB & Mining Department

INDEX OF ANNEXURES

Annexure No.	Description of Document	Page No.
Annexure-1	True copy of the Order passed by the Hon'ble NGT (CZ), Bhopal in O.A. No. 36/2026 dated 09.02.2026.	5-7
Annexure-2	Copy of the Letter of Nomination for Shri Rajesh Gangale, Representative of Collector, Sheopur dated 27.02.2026.	8
Annexure-3	Copy of the Letter of Nomination for Shri D.V.S. Jatav, Representative of Member Secretary, MPPCB dated 17.02.2026.	9-10
Annexure-4	Copy of the FIR No. 0258/2022 filed at Police Station Vijaypur, District Sheopur dated 27.09.2022.	11-15
Annexure-5	Certified copy of the Order Sheet of the Court of Additional Sessions Judge, Vijaypur (Case No. 18/2024).	16-49
Annexure-6	Copy of the D.O. Letter No. 8235 regarding action against mining mafia issued by Collector, Sheopur dated 22.07.2022.	50-51
Annexure-7	Copy of Letter No. 0945 regarding proceedings against illegal mining issued by Collector, Sheopur dated 21.08.2025.	52-53
Annexure-8	Copy of the Spot Panchnama prepared during the Joint Site Inspection dated 10.03.2026.	54
Annexure-9	Copy of Letter No. 670 issued by the Regional Office, MPPCB, Gwalior to CEO, Janpad Panchayat Vijaypur dated 09.03.2026.	55
Annexure-10	Copy of Letter No. 887 issued by the Regional Office, MPPCB, Gwalior to CEO, Janpad Panchayat Vijaypur dated 25.03.2026.	56
Annexure-11	Copy of Letter No. 1038 issued by the CEO, Janpad Panchayat Vijaypur regarding data compilation dated 10.03.2026.	57

Date: 31.03.2026
Place: Bhopal

Submitted by MPPCB:
through Counsel

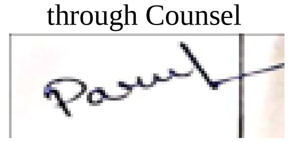

Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

JOINT COMMITTEE REPORT

1. Hon'ble National Green Tribunal Bhopal vide its order dated 09.02.2026 in Original Application No. 36 of 2026 (CZ), in the matter of Chandrashekhar Gour Vs State of Madhya Pradesh& Ors has directed as:

"1. *The grievance of the applicant is continuing and unabated environmental violations arising out of large-scale illegal excavation, transportation and commercial exploitation of mineral resources, carried out in violation of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and the Environment (Protection) Act, 1986. The petitioner has approached this Tribunal as the issues raised herein pertain continuing environmental damage, failure of statutory authorities to enforce mining and environmental laws, and subsisting consequences of illegal mining activities, thereby squarely attracting the jurisdiction of this Tribunal.*

2. It is further submitted FIR bearing No. 0258/2022 was registered at Police Station Vijaypur, District Sheopur, for offences under Sections 4 and 21 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, along with relevant provisions of recording lawful authority the Indian Penal Code, illegal excavation, transportation and sale of minerals without lawful authority. The Office of the Collector (Mining Branch), District Sheopur, issued an official communication the Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Vijaypur, directing furnishing of details of mineral quantities utilized in works executed under Panchayat jurisdiction for the purpose of assessment of royalty and other statutory dues arising out of illegal mining.

7. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of: (i) One representative from the District Collector, Sheopur (M.P.) (ii) One representative from the Member Secretary, State Pollution Control Board, (M.P.)

8. The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support."

The copy of the order dated 09.02.2026 is enclosed as **Annexure-1**.

2. In compliance of the order a joint committee comprising of following officers was constituted to conduct an inquiry of the area and submit a factual report in the matter:

i. Shri Rajesh Gangale, Incharge Mining Officer, Distt. Sheopur (M.P.) (Representative of the Collector, Distt.- Sheopur)

ii. Shri D.V.S. Jatav, Regional Officer, MPPCB, Gwalior (M.P) (Representative of the Member Secretary, State Pollution Control Board, (M.P.))

The copy of letter of nominations is enclosed as **Annexure-2 & 3.**

3.0 Site inspection conducted by the committee as per order:

3.1 That, a complaint was filed by Shri Chandrashekhar stating that in Vijaypur town, District Sheopur, the firms (1) **Kailadevi Traders**, operated by Shri Mohan Gupta, (2) **S.L. Traders**, operated by Shri Shivji Gupta, (3) **Mittal Traders**, operated by Shri Gopesh Mittal, and (4) **Kailadevi Traders**, operated by Shri Rahul Garg, had been illegally extracting, transporting, and selling mineral substances for a long time. The period of the said offence is from **01.04.2014 to 31.03.2022**. In this regard, the then Mining Officer, Sheopur, Shri Rajendra Prasad Kamlesh, filed an FIR at Police Station Vijaypur, District Sheopur, on **27.09.2022**. A copy of the same is annexed at **Annexure-4.** That, the aforementioned matter is currently sub-judice and pending trial before the **Court of the Hon'ble Additional Sessions Judge, Vijaypur, District Sheopur (M.P.)**, registered as **Case No. 18/2024, Sessions Trial (ST)**, bearing **CNR No. 31050004482024**. A certified/true copy of the Order Sheet has been obtained from the Hon'ble Court and is annexed herewith as **Annexure-5**. The said matter is next listed for hearing on **01.04.2026**.

3.2 That, during the joint inspection conducted on **10.03.2026**, the In-charge Mining Officer, Sheopur, apprised that a D.O. Letter **No. 8235 dated 22.07.2022** was issued by the Collector and District Magistrate, Sheopur, addressed to the Additional Secretary, Government of Madhya Pradesh, Mineral Resources Department, regarding the initiation of action against the mining mafia. The said correspondence specifically adverts to the inspection of **M/s Kailadevi Traders, M/s Mittal Traders, and M/s S.L. Traders** conducted by the Assistant Mining Officer, Sheopur, on **12.06.2022**. The detailed of the said inspection are contained in the letter dated 22.07.2022, which is being filed herewith as **Annexure-6**.

3.3 That, Letter **No. /Khani/3-6/Shika./2025/0945 dated 21.08.2025**, was issued by the Collector, District Sheopur, addressed to the Director, Geology and Mining, Madhya Pradesh, Bhopal, pertaining to the initiation of proceedings and registration of cases against firms/persons allegedly involved in the unauthorized extraction and commercial sale of mineral substances. The said correspondence specifically relates to the recurrent complaints preferred against **M/s Kailadevi Traders, M/s Mittal Traders, and M/s S.L. Traders** across various administrative forums.

The investigations conducted periodically by the Mining Inspectors and Officers revealed that the respondent firms neither maintained any physical stock of minerals at their business premises nor were any physical evidences of illegal mining brought on record against them. Furthermore, the invoices/bills produced along with the complaints do not mention the registration numbers of the vehicles allegedly involved, thereby making it legally untenable to establish the charge of illegal transportation of minerals by the respondents. A true copy of the said letter is annexed herewith as **Annexure-7**.

3.4 That, during the joint inspection, a **Spot Panchnama** was prepared, which reveals that upon inspection of the premises of **M/s Kailadevi Traders, M/s Mittal Traders, M/s S.S. Traders, and M/s Kailadevi (Proprietor Rahul Garg)**, no physical stock of minerals such as sand or aggregate was found. The operators/proprietors of the said firms deposed that they are not engaged in the mineral trade; instead, the mineral materials were supplied to the Panchayats through local farmers, and the firms merely facilitated the billing process. The payments for the same were credited to their respective firm accounts. A copy of the said Panchnama is annexed herewith as **Annexure-8**. It is further submitted that notwithstanding **intimations** served upon the complainant, Shri Chandrashekhar, requesting his presence at the site, he **deliberately abstained** from joining the inspection proceedings. That no evidence of illegal mining was observed during the inspection by the committee.

3.5 That, during the joint inspection conducted on **10.03.2026**, the **Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Vijaypur**, was directed to provide a detailed account regarding the quantum of illegally utilized minerals in construction works executed within the Panchayat’s jurisdiction for the period

Spanning from **2017-2018 to 2021-2022**. In this regard, the Regional Office of the **M.P. Pollution Control Board, Gwalior**, has issued communications vide **Letter No. 670 dated 09.03.2026** and **Letter No. 887 dated 25.03.2026**, copies whereof are annexed herewith as **Annexure-9** and **Annexure-10** respectively. The **Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Vijaypur**, informed the Regional Officer, M.P. Pollution Control Board, Gwalior, via **Letter No. 1038 dated 10.03.2026**, that the requested data covers the period from **2017-18 to 2021-22**. Since this information is quite extensive and needs to be collected from various government portals and Gram Panchayats, it will take more time to compile. Therefore, it was stated that the complete details would be provided by **30.03.2026**. A copy of this letter is attached as **Annexure-11**.

Based on the aforementioned observations and the Spot Panchnama, the facts are hereby submitted before the **Hon'ble National Green Tribunal (NGT)** for its kind perusal. It is further submitted that the matter concerning the alleged illegal use of minerals is currently sub-judice and remains under **prosecution and trial** before the **Court of the Hon'ble Additional Sessions Judge, Vijaypur, District Sheopur (M.P.)**.

(Rajesh Gangale)
In-charge Mining Officer,
District Sheopur

(D.V.S. Jatav)
Regional Officer
M. P. Pollution Control Board, Gwalior

Annexure-1

Item No.3

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
THROUGH PHYSICAL HEARING (WITH HYBRID OPTION)

Original Application No.36/2026(CZ)

Chandrashekhar Gour — Applicant(s)

Vs.

State of Madhya Pradesh & Ors. — Respondent(s)

Date of Hearing: 09.02.2026

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. SUDHIR KUMAR CHATURVEDI, EXPERT MEMBER

For Applicant (s): Mr. Rohit Sharma, Adv.

For Respondent(s) :

ORDER

1. The grievance of the applicant is continuing and unabated environmental violations arising out of large-scale illegal excavation, transportation and commercial exploitation of mineral resources, carried out in violation of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and the Environment (Protection) Act, 1986. The petitioner has approached this Tribunal as the issues raised herein pertain continuing environmental damage, failure of statutory authorities to enforce mining and environmental laws, and subsisting consequences of illegal mining activities, thereby squarely attracting the jurisdiction of this Tribunal.

2. It is further submitted FIR bearing No. 0258/2022 was registered at Police Station Vijaypur, District Sheopur, for offences under Sections 4 and 21 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, along with relevant provisions of recording lawful authority the Indian Penal Code, illegal excavation, transportation and sale of

minerals without lawful authority. The Office of the Collector (Mining Branch), District Sheopur, issued an official communication the Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Vijaypur, directing furnishing of details of mineral quantities utilized in works executed under Panchayat jurisdiction for the purpose of assessment of royalty and other statutory dues arising out of illegal mining.

3. It is further argued that the illegal mining in violation of rules, are still continuing.

4. A substantial issue of environmental has been raised. Issue notice to the respondents. Returnable within four weeks.

5. Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.

6. Respondents are directed to submit their reply within six weeks through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

7. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:

   (i) One representative from the District Collector, Sheopur (M.P.)
   (ii) One representative from the Member Secretary, State Pollution Control Board, (M.P.)

8. The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

9. Applicant is directed to supply the required documents and copy of the application to the committee and the respondents within a week and after compliance of service, the Applicant has to submit an affidavit that notices and copy of the application have been served upon the committee and respondents.

10. The report in the matter be filed by the Committee by email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on **10th April, 2026.**

Sheo Kumar Singh, JM

Sudhir Kumar Chaturvedi, EM

09th February, 2026
Original Application No.36/2026(CZ)
K

Annexure-2

::कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर(मध्यप्रदेश)::
TEL NO :- 07530-220058 FAX NO :- 07530-220015
E-mail :- dmsheopur@nic.in

क्रमांक/कले./स्था./2026, 2851 श्योपुर,दिनांक 27/02/2026

// आदेश//

क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण बोर्ड ग्वालियर के पत्र क्र./564 ग्वालियर दिनांक 16.02.2026 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल बेंच भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 36/2026/CZ (चन्द्रशेखर गौर विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 09.02.2026 के पालन में जिले में अवैध उत्खनन एवं पर्यावरणीय क्षति के संबंध में गठित संयुक्त जांच के अनुक्रम में कलेक्टर जिला श्योपुर की ओर से एक प्रतिनिधि को नामांकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल बेंच भोपाल के द्वारा प्रकरण क्रमांक 36/2026/CZ में पारित आदेश दिनांक 09.02.2026 के पालन में अधोहस्ताक्षरकर्ता के प्रतिनिधि के रूप में जिला खनिज अधिकारी श्योपुर को नामांकित किया जाता है।

(अर्पित वर्मा)
कलेक्टर
जिला-श्योपुर(म.प्र.)

पृष्ठां.क्रमांक/कले./स्था./2026/ 2852 श्योपुर,दिनांक 27/02/2026

प्रतिलिपि:-

1- अधीक्षक यंत्री (विधि) म.प्र. प्रदूषण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2 क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण बोर्ड ग्वालियर की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3 खनिज अधिकारी जिला श्योपुर की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4 श्री पृथ्वीराज सिंह चौहान (जिला प्रभारी श्योपुर) म.प्र. प्रदूषण बोर्ड ग्वालियर की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला-श्योपुर(म.प्र)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल-462016
Fax No :+91-755-2463742 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक OD-104 /विधि/एनजीटी/प्रनिबो/2026 भोपाल, दिनांक 17/02/2026

// कार्यालय आदेश //

सिविल प्रकिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक 5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर को (पक्षकारों के नाम) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,भोपाल बेच, दिल्ली के प्रकरण क्रमांक **36/2026** (चन्द्रशेखर गौर विरूद्व मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हे सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने आवेदन पत्र करने और उपसंजात होने के लिये नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है, कि म०प्र० विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कतव्यों तथा उत्तदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्त के तुरन्त पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये है, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

(1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जॉच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका मे उठाये गये समस्त विन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनसे कि मामले के संचालन में बोर्ड अभिभाषक को सहायता पहुचाने की संभावना हो। रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिदिषर्ट रूप से निर्दिष्ट की जावे।

(2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।

(3) याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनसे की बोर्ड द्वारा नियुक्त अभिभाषक को सहायता पहुचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(4) उक्त रिर्पोट तथा सामाग्री के साथ बोर्ड अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।

(5) बोर्ड अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।

(6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजपत्र भेजेगा:-

- (1) बादपत्र की एक प्रति के साथ बोर्ड की एक रिर्पोट।
- (2) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
- (3) उन सभी दस्तावेजों की एक पूरी सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल/सेन्ट्रल बेंच में प्रस्तावित है, और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट अपेक्षा की गई है ।
- (4) मामले के विशादीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें बाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।

(7) मामले की तैयारी और संचालन करने में बोर्ड अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वंय को सदैव ही अवगत रखना।

(8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तया बोर्ड के विरूद्व पारित किया जाता है तो बोर्ड को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना ।

(9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा बोर्ड अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही के किये जाने के लिये इस बोर्ड को भेजेगा।

(10) यह देखना कि आवेदन करने मे तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने मं समय नष्ट नहीं हो ।

(11) जैसे कि उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सोप देने के पश्चात भी जब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।

(12) प्रभारी अधिकारी,मामला तैयार करने में बोर्ड अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण पत्र या दस्तावेज आप्रकटिक/छुपी हुई न रह जाये।

(13) प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुर्करर है तो वह जैसे ही विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट सदस्य सचिव को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाये।

(14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुर्करर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों मं जहॉ किसी वाद के प्रक्रम में कार्य किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुर्नरीक्षण आपेक्षित है। समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही पारित की जाये सदस्य सचिव को अपनी अनुशंसा के साथ बोर्ड को अग्रेषित करें ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित

Digitally Signed by: Manoj Kumar Mandrai
Date: 17-02-2026
11:30 am

अधीक्षण यंत्री(विधि)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल

पृ०क्र० OD-105 /विधि/एनजीटी/प्रनिबो/2026, भोपाल, दिनांक 17/02/2026

प्रतिलिपिः-

(1) क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित साथ ही बोर्ड अधिवक्ता से सम्पर्क करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर बोर्ड अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले मे अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ सदस्य सचिव को भेजने हेतु अग्रेषित मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति बोर्ड को सदैव ही भेजी जावे। कृपया प्रकरण की आगामी सुनवाई से पूर्व रिपोर्ट माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि निर्धारित समयावधि में माननीय एनजीटी के आदेश का पालन हो सके।

(2) श्रीमती पारूल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चेम्बर, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Digitally Signed by: Manoj Kumar Mandrai
Date: 17-02-2026
11:30 am

अधीक्षण यंत्री(विधि)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल

Annexure P/1

Annexure-4

N.C.R.B (एन.सी. आर.बी.)
I.I.F.-I (एकीकृत जांच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): श्योपुर P.S. (थाना): विजयपुर

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0258 Year (वर्ष): 2022

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 27/09/2022 17:55 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	379
2	भा दं सं 1860	414
3	खान एव खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
4	खान एव खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): दरमियानी दिन

	Date From (दिनांक से): 01/04/2014	Date To (दिनांक तक): 31/03/2022
Time Period (समय अवधि):	Time From (समय से): 10:00 बजे	Time To (समय तक): 15:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 27/09/2022

Time (समय): 17:55 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):Entry No. (प्रविष्टि सं.): 029

Date & Time (दिनांक और समय): 27/09/2022 17:55

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 2 किमी
   Beat No. (बीट सं.):
   (b) Address (पता): सुनवई तिराहा विजयपुर

   (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
   Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
   (a) Name (नाम): राजेन्द्र प्रसाद कमलेश
   (b) Father's Name (पिता का नाम) : श्री एफ.एस. कमलेश
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1972 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
   (e) UID No. (यूआईडी सं.):
   (f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):
   Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

   (h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	नरसिहटोला वैहर तहसील वैहर ,जिला बालाघाट हाल सहायक ,खनिज अधिकारी कलेक्टर कार्यालय ,श्योपुर ,वैहर,बालाघाट,मध्य प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	नरसिहटोला वैहर तहसील वैहर ,जिला बालाघाट हाल सहायक ,खनिज अधिकारी कलेक्टर कार्यालय ,श्योपुर ,वैहर,बालाघाट,मध्य प्रदेश,भारत

   (i) Occupation (व्यवसाय):
   (j) Phone number (दूरभाष सं.):
   Mobile (मोबाइल सं.): 91-9425463630

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
   Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	मोहन गुप्ता			1. विजयपुर ,विजयपुर,श्योपुर, मध्य प्रदेश,भारत
2	शिवजी गुप्ता			1. विजयपुर ,विजयपुर,श्योपुर, मध्य प्रदेश,भारत
3	गोपेश मित्तल			1. विजयपुर ,विजयपुर,श्योपुर, मध्य प्रदेश,भारत
4	राहुल गर्ग			1. एमएस रोड कैलारस ,कैलारस मुरैना,मध्य प्रदेश,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

फरियादी द्वारा जाँच उपरांत आवेदन प्रस्तुत करने पर से

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पति का विवरण):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपति श्रेणी)	Property Type (सम्पति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-)-सम्पति का कुल मूल्य(रु में):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

मे प्रआर.374 सुनील शाक्य थाना विजयपुर में प्रआर. लेखक के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत हूँ। सहायक खनिज अधिकारी वास्ते कलेक्टर जिला श्योपुर की ओर से अवैध उत्खन्न/अवैध भण्डारण एव अवैध परिवहन करने वाले फर्म संचालक के मोहन गुप्ता, शिवजी गुप्ता, गोपेश मित्ल,राहुल गर्ग के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने वावत पत्र प्राप्त हुआ है। जो धारा 379,414 भादवि 4/21 खान खनिज (विकास विनिमय अधिनियम) 1957 का घटित करना पाया जाने से अपराध सदर कायम किया जाता है। नकल पत्र निम्नानुसार है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर (म.प्र.) क्र/खनि/3-6/विविध/2022/9349 श्योपुर दिनाक 31.08 22 प्रति थाना प्रभारी पुलिस थाना विजयपुर जिला श्योपुर विषय- अवैध उत्खन्न/अवैध भण्डारण एव अवैध परिवहन करने वाले फर्म संचालक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने वावत। विषयान्तर्गत शिकायतकर्ता अशोक गर्ग, ममता गर्ग, कुलदीप अग्रवाल एवं चन्द्र शेखर गौर समस्त शिकायतकर्ता पता वार्ड न.13 मण्डी विजयपुर तह. विजयपुर जिला श्योपुर द्वारा सी.एम. हेल्पलाइन में एवं अनिल कुशवाह ब्यूरो चीफ पुष्पांजली टुडे जिला शिवपुरी द्वारा कलेक्टर श्योपुर को अनेको शिकायत दर्ज कराये गये हैं एँवं उपरोक्त सभी शिकायतकर्ताओं द्वारा वरिष्ठ स्तर पर अनेक शिकायत प्रेषित कर जनपद पंचायत विजयपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायतो मे बिना रायल्टी जमा किये गौण खनिज रेत, मुरूम, गिट्टी, खण्डा, वोल्डर सप्लाय किये जाकर बिल पस्तुत करने और भुगतान अपने खाते में मेसर्स कैलादेवी ट्रेडर्स-प्रो. मोहन गुप्ता, एस.एल. ट्रेडर्स प्रो शिवजी गुप्ता मित्तल ट्रेडर्स

पो.गणेश मित्तल, मोहनलाल गुप्ता s/o शिवजीलाल निवासी सुनवई रोड मण्डी विजयपुर एव कैलादेवी ट्रेडर्स-प्रो राहुल गर्ग नि. एम.एस. रोड कैलारस तह. कैलारस जिला मुरैना द्वारा अपने खाते में प्राप्त करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत मे विजयपुर जनपद पंचायत अन्तर्गत ग्राम पंचायतो द्वारा सार्वजनिक निर्माण कार्यो मे बिना रायल्टी जमा किये गौण खनिज रेत, गिट्टी,पत्थर, मरूम,खण्डा,बोल्डर उपयोग किये जाने का लेख है एव उपरोक्त सामग्री के बिल मेसर्स कैलादेवी ट्रेडर्स-प्रो मोहन गुप्ता एस.एल. ट्रेडर्स प्रो शिवजी गुप्ता, मित्तल ट्रेडर्स प्रो. गोपेश मित्तल , मोहन गुप्ता s/o शिवजीलाल निवासी सुनवई रोड मण्डी विजयपुर एव कैलादेवी ट्रेडर्स प्रो राहुल गर्ग निवासी एम.एस. रोड कैलारस तह. कैलारस जिला मुरैना द्वारा जारी कर अपने अपने खातें मे आहरण किया जाना उल्लेखित है। शिकायत में शिकायतकर्ताओ द्वारा विभिन्न फर्मो द्वारा जारी किये गये बिल संलग्नन किये गये है। उपरोक्त शिकायत जनपद पंचायत विजयपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक निर्माण.कार्यो से सम्बधित होने से मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायत विजयपुर से जाँच प्रतिवेदन लिया गया जिसमे उनके प्रतिवेदन से उपरोक्त फर्मो द्वारा खनिज सामग्री के बिल जारी किये जाकर आहरण किया जाना पाया गया है उपरोक्त समस्त फर्मो द्वारा खनिज सामग्री विक्रय करने हेतु खनिज व्यापारिक अनुज्ञप्ति नही लिया गया है और बिना अनुमति ही बिल जारी किये गये है। जो खान एव खनिज (विकास विनिमय अधिनियम) 1957 की धारा 4 का उल्लघंन है एव उक्त अधिनियम की धारा 21 के तहत दण्डनीय है। अतः बिना किसी वैध खनिज व्यापारिक अनुज्ञा के मेसर्स कैलादेवी ट्रेडर्स-प्रो मोहन गुप्ता, एस. एल. ट्रेडर्स प्रो शिवजी गुप्ता, मित्तल ट्रेडर्स प्रो. गोपेश मित्तल, मोहन गुप्ता s/o शिवजीलाल निवासी सुनवई रोड मण्डी विजयपुर एवं कैलादेवी ट्रेडर्स- प्रो राहुल गर्ग नि. एम.एस. रोड कैलारस तह. कैलारस जिला मुरैना द्वारा बिल जारी कर भुगतान अपने अपने खाते मे प्राप्त करने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे। सलग्नन-शिकायत की छायाप्रति एव बिलो की छायाप्रति 47 नग हस्ताक्षर अंग्रेजी सहायक खनिज अधिकारी वास्ते कलेक्ट जिला श्योपुर

13. **Action taken: Since the above information reveals** commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है |) or (या)

(1) **Registered the case and took up the investigation:**
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** KAPTAN SINGH
No.(सं.): 514
Rank (पद): OFFICIATING ASST SUB INSPECTOR

to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):**

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म)

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कार्यमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम): SUNIL shakya

Rank (पद): प्रधान आरक्षक-कार्यवाहक

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम):SONPAL SINGH TOMAR

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 सलग्रक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

Annexure-5

II—156
C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No. 18/of 2024 S.T.

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
20.04.2024	माननीय सत्र न्यायालय श्योपुर की ई–मेल आदेश पत्रिका दिनांक 06.04.2024 सहित ई–फाइलिंग पावती–एसटी/2263/2024, एवं सत्र प्रकरण क्रमांक– 34/2024 (शासन पुलिस विजयपुर विरूद्ध मोहन उर्फ मोनू आदि), (आरक्षी केन्द्र विजयपुर का अपराध क्रमांक– 258/2022) अपराध अंतर्गत धारा 414, 420, 467, 468, 120बी, 201 भा.द.सं. एवं धारा 04/2021 खान खनिज अधिनियम का माननीय सत्र न्यायालय श्योपुर के आदेशानुपालन में अंतरण द्वारा प्राप्त। कम्प्यूटर सर्वर रूम विजयपुर से स्कूटनी उपरांत पंजीयन फाइलिंग क्रमांक–एसटी/380/2024 से प्राप्त। इस न्यायालय द्वारा जर्ये सीआईएस प्राप्त करने पर सत्र प्रकरण क्रमांक– **18/2024** का आवंटित किया गया है। राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण मोहन उर्फ मोनू द्वारा एवं शेष गोपेश, शिवजीलाल, राहुल कुमार सहित अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अपना अभिभाषक पत्र पेश किया, जो संलगन अभिलेख किया गया। अनुपस्थित अभियुक्त मोहनलाल की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा उसका आज का हाजिरी माफी आवेदन धारा 317 जा.फौ पेश कर अनुपस्थिति से क्षमा करने का निवेदन किया, सुना। आवेदन पत्र में दर्शित कारण सद्भाविक प्रतीत होने से विचारोपरान्त स्वीकृत। प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत किया जाता है। इसी स्तर पर अधिवक्ता श्री एन.एल. शर्मा ने फरियादी अशोक कुमार गर्ग की ओर से मय अभिभाषक पत्र के उपस्थित होकर आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 301(2) द.प्र.सं. एवं आवेदन अंतर्गत धारा 193 द.प्र.सं. वास्ते संज्ञान से पूर्व अपराध से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु अभियोजन को निर्देशित किये जाने बावत् तथा अधिवक्ता श्री एस.एस. जादौन ने फरियादी चन्द्रशेखर गौर की ओर से मय अभिभाषक पत्र के उपस्थित होकर आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 301(2) द.प्र.सं. एवं आवेदन अंतर्गत धारा 193 द.प्र.सं. वास्ते संज्ञान से पूर्व अपराध से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु अभियोजन को निर्देशित किये जाने बावत् पेश किये। उक्त आवेदन की प्रति अपर लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष अधिवक्ता को प्रदाय की गई। आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 301(2) द.प्र.सं. के संदर्भ में उभयपक्ष को	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार कर शासन की ओर से सहायक के रूप में पैरवी करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अभिभाषक पत्र व आवेदन पत्र अभिलेख के संलग्न किया जावे।

फरियादी अशोक कुमार गर्ग एवं चन्द्रशेखर गौर की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 193 दं.प्र.सं. की प्रति बचाव पक्ष अधिवक्ता को दी गई। उक्त आवेदनों को आई.ए. नं. 01/24 एवं 02/2024 से चिन्हित किया गया।

बचाव पक्ष अधिवक्ता ने आई.ए. कमांक 01/2024 एवं 02/2024 के जवाब/तर्क हेतु अवसर चाहा, बाद विचार इस निर्देश पर अवसर दिया गया कि आगामी दिनांक को जवाब/तर्क प्रस्तुत करें।

प्रकरण आई.ए. कमांक 01/2024 एवं 02/2024 के जवाब/तर्क हेतु 02.05.2024 प्रस्तुत किया जावे।

राजेन्द्र कुमार दक्षणी
अपर सत्र न्यायाधीश
विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)

02/05/24

राज्य द्वारा एजीपी उपस्थित।

अभियुक्तगण सहित अधि. श्री बी.एम. शर्मा उप.।

प्रकरण I.A No. 01/24, 02/24 के जवाब/तर्क हेतु नियत है।

बचाव पक्ष अधि. ने I.A. No. 01/24 एवं 02/24 के जवाब/तर्क हेतु अवसर चाहा, बाद विचार इस निर्देश पर अवसर दिया गया कि आगामी दिनांक को आवश्यक रूप से उपरोक्त I.A. No. 01/24 एवं 02/24 के जवाब/तर्क प्रस्तुत करें।

प्रकरण आई. ए. नं. 01/24 एवं 02/24 के जवाब/तर्क हेतु दि. 15/05/24 को प्रस्तुत किया जावे।

(राजेन्द्र कुमार दक्षणी)
अपर सत्र न्यायाधीश
विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)

राहुल गर्ग
[illegible]

Order Sheet [Contd]

Case No. 18/2024 S.T.

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
15.05.2024	श्रीमान् पी.ओ. महोदय अवकाश पर है। कार्यालय– मान.प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्योपुर म.प्र. के कार्य विभजान आदेश कमांक 01/one-11-1/05(SW Sec) श्योपुर दिनांक 11.01.2024 अनुसार प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत। राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित अभियुक्त मोहन उर्फ मोनू, गोपेश एवं शिवजीलाल सहित एवं राहुल द्वारा अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित। अनुपस्थित अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा आज की अनुपस्थिति को क्षमा करने विषयत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 317 दं.प्र.सं. का प्रस्तुत किया गया। सुना। आवेदन पत्र में दर्शित कारण प्रथम दृष्टया सद्भाविक प्रतीत होने से विचारोपरान्त स्वीकृत। प्रकरण आई.ए. कमांक 01/2024 एवं 02/2024 के जवाब/तर्क हेतु नियत है। बचाव पक्ष अधिवक्ता ने उपरोत आवेदनों पर तर्क हेतु अवसर चाहा, बाद विचार अवसर दिया गया। प्रकरण आई.ए. कमांक 01/2024 एवं 02/2024 के जवाब/तर्क हेतु दिनांक 24.05.2024 को प्रस्तुत किया जावे। वास्ते– अपर सत्र न्यायाधीश, विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)	
24.05.2024	राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित अभियुक्त मोहन उर्फ मोनू, गोपेश एवं शिवजीलाल सहित एवं राहुल द्वारा अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित। अनुपस्थित अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा आज की अनुपस्थित्ति को क्षमा करने विषयत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 317 दं.प्र.सं. का प्रस्तुत किया गया। सुना। आवेदन पत्र में दर्शित कारण प्रथम दृष्टया सद्भाविक प्रतीत होने से विचारोपरान्त स्वीकृत। प्रकरण आई.ए. कमांक 01/2024 एवं 02/2024 के जवाब/तर्क हेतु नियत है। बचाव पक्ष अधिवक्ता ने उपरोत आवेदनों पर जवाब/तर्क हेतु पुनः अवसर चाहा, बाद विचार अवसर इस निर्देश पर अवसर दिया गया कि आगामी दिनांक को आवश्यक रूप से जवाब/तर्क प्रस्तुत करें। प्रकरण आई.ए. कमांक 01/2024 एवं 02/2024 के जवाब/तर्क हेतु दिनांक 12.06.2024 को प्रस्तुत किया जावे।	

(राजेन्द्र कुमार [illegible])
अपर सत्र न्यायाधीश
विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
12-6-24	श्रीमान P.O. महोदय आकस्मिक कालीन अवकाश पर होने से प्रकरण मेरे समक्ष पेश। राज्य द्वारा एजीपी। अभियुक्त राहुल द्वारा एवं शेष सह श्री बी०एम० शर्मा एड. अनु० अभियुक्त का आज की हाजरी माफी आवेदनपत्र पेश किया आवेदन में दर्शित कारण सद्भाविक होने से स्वीकार कर इसकी हाजरी जरिये अधि० द्वारा दर्ज की। बचावपक्ष की ओर से जवाब हेतु समय चाहा गया। बचाव पक्ष को समय दिया गया। प्रकरण जवाब / तर्क हेतु दिनांक 6-8-2024 को पेश हो।	
06.08.2024	राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियोजन की से शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री एन.एल.शर्मा व श्री एस.एस.जादौन उप0। अभियुक्तगण सहित श्री बी.एम.शर्मा अधिवक्ता उपस्थित। अनुपस्थित अभियुक्तगण का आज की हाजरी माफी	

—459—DCGCPB—29-8-22—37,00,000

Order Sheet [Contd]

Case No. ...18/2024 S.T

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, आवेदन पत्र में दर्शित कारण सद्भाविक होने से स्वीकार कर उनकी हाजरी उनके अधिवक्ता द्वारा मान्य की गयी। प्रकरण आवेदन पत्रों के जबाव/तर्क हेतु नियत है। अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने उक्त आवेदन पत्रों का लिखित जबाव न देना व्यक्त किया गया। उभयपक्ष को उक्त आवेदन पत्रों पर सुना गया। शासन की ओर से उनके सहायक अधिवक्ता श्री एन.एल.शर्मा ने शिकायतकर्ता अशोक कुमार गर्ग की ओर से एवं सहायक अधिवक्ता श्री एस.एस.जादौन ने शिकायतकर्ता चन्द्रशेखर की ओर से प्रथक--प्रथक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 193 द.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत किये गये है। दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 193 में यह परिभाषित किया है कि अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान– इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय कोई सेशन न्यायालय आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक मामला इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उसके सुपुर्द नहीं कर दिया गया है। शिकायतकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आई.ए.नं.1 एवं आई.ए.नं.2 संहिता की धारा 193 के तहत विचारण योग्य न होने से निरस्त किये जाते है। प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत किया जाता है। अभियुक्तगण की ओर से आरोप तर्क हेतु समय चाहा न्यायहित में समय प्रदान किया गया। प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक 22/08/24 को पेश हो। (राजेन्द्र कुमार दक्षणी) अपर सत्र न्यायाधीश, विजयपुर जिला–श्योपुर म.प्र.	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

22.08.2024

राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता ~~की ओर से~~ के अधिवक्ता श्री एन.एल. शर्मा एवं श्री एस.एस. जादौन उपस्थित।

अभियुक्त मोहन उर्फ मोनू, गोपेश, शिवजीलाल एवं राहुल सहित अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत है।

इसी स्तर पर अधिवक्ता श्री एस.एस. जादौन ने उपस्थित होकर आवेदन अंतर्गत धारा 94 बी.एन.एस.एस. पेश किया, जिसकी प्रति बचाव पक्ष अधिवक्ता को प्रदायी की गई।

बचाव पक्ष अधिवक्ता ने आवेदन के जवाब/तर्क हेतु अवसर चाहा, बाद विचार समय दिया गया।

प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 94 बी.एन.एस.एस. के जवाब/तर्क हेतु दिनांक 13.09.2024 को प्रस्तुत किया जावे।

राजेन्द्र कुमार दक्षणी
अपर सत्र न्यायाधीश,
विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)

13.09.2024

राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री एन.एल. शर्मा एवं श्री एस.एस. जादौन उपस्थित।

अभियुक्त मोहन उर्फ मोनू, गोपेश, शिवजीलाल एवं राहुल सहित अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित।

प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 94 बी.एन.एस.एस. के जवाब/तर्क हेतु नियत है।

बचाव पक्ष अधिवक्ता ने उपरोक्त आवेदन के जवाब/तर्क हेतु पुनः अवसर चाहा, बाद विचार इस निर्देश पर अवसर समय दिया गया कि आगामी दिनांक को आवश्यक रूप से जवाब/तर्क प्रस्तुत करें।

प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 94 बी.एन.एस.एस. के जवाब/तर्क हेतु दिनांक 20.09.2024 को प्रस्तुत किया जावे।

राजेन्द्र कुमार दक्षणी
अपर सत्र न्यायाधीश,
विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)

[illegible].09.2024

[illegible] अवकाश पर हैं [illegible]

[illegible] श्योपुर [illegible]

[illegible] 1/05(SW Sec) [illegible]

[illegible] 13.09.2024

[illegible] श्री महेन्द्र [illegible] अपर लोक अभियोजक उपस्थित

अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री [illegible]

II—156
C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No. ...18 of 2024 S.T.

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	शर्मा एवं श्री एस.एस. जादौन उपस्थित। अभियुक्त मोहन उर्फ मोनू, गोपेश, शिवजीलाल सहित एवं राहुल द्वारा अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित। अनुपस्थित अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा आज की अनुपस्थिति को क्षमा करने विषयक् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 317 द.प्र.सं. का प्रस्तुत किया गया, सुना। आवेदन पत्र में दर्शित कारण प्रथम दृष्टया सद्भाविक प्रतीत होने से विचारोपरान्त स्वीकृत। प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 94 बी.एन.एस.एस. के जवाब/तर्क हेतु नियत है। इसी स्तरपर अधिवक्ता श्री एस.एस. जादौन ने उपस्थित होकर आवेदन वास्ते 429 बी.एन.एस.एस प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति बचाव पक्ष अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा को दी गई। बचाव पक्ष अधिवक्ता ने उपरोक्त आवेदन अंतर्गत धारा 429 बी.एन.एस.एस. एवं आवेदन अंतर्गत धारा 94 बी.एन.एस.एस.के जवाब/तर्क हेतु अवसर चाहा, बाद विचार इस निर्देश पर अवसर समय दिया गया कि आगामी दिनांक को आवश्यक रूप से जवाब/तर्क प्रस्तुत करें। प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 429 बी.एन.एस.एस. एवं आवेदन अंतर्गत धारा 94 बी.एन.एस.एस. के जवाब/तर्क हेतु दिनांक 07.10.2024 को प्रस्तुत किया जावे। (signature) वास्ते अपर सत्र न्यायाधीश, विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)	(handwritten signatures)
	<u>अंतरिम कार्यवाही दिनांक 24.09.2024</u> इसी स्तर पर अधिवक्ता श्री एस.एस. जादौन ने उपस्थित होकर आवेदन वास्ते-- शीघ्र सुनवाई एवं 429 बी.एन.एस.एस. को बल न देने कारण यथावत वापिस बावत् पेश किया। शीघ्र सुनवाई आवेदन में दर्शित कारण उचित प्रतीत होने से आवेदन स्वीकार कर प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 20.09.2024 को अधिवक्ता श्री एस.एस. जादौन ने उपस्थित होकर आवेदन अंतर्गत धारा 429 बी.एन.एस.एस. आरोपीगण के बंध पत्र एवं जमानत पत्र रद्द कराने बावत् पेश किया था, उपरोक्त आवेदन पर बल नहीं देना चाहता है तथा आगे प्रचलित नहीं रखना चाहता है तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः बल न देने के कारण यथावत वापिस किये जाने का निवेदन किया।	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where nec
	बाद विचार फरियादी की ओर अधिवक्ता श्री एस.एस. जादौन द्वारा दिनांक 20.09.2024 को प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 429 बी.एन.एस.एस. **बल न देने के कारण निरस्त** किया जाता है तथा आवेदन अंतर्गत धारा 429 बी.एन.एस.एस. के जवाब/तर्क की स्टेज को समाप्त किया जाता है। प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 94 बी.एन.एस.एस. के जवाब/तर्क हेतु पूर्ववत दिनांक 07.10.2024 को प्रस्तुत किया जावे। राजेन्द्र कुमार दक्षणी अपर सत्र न्यायाधीश, विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)	
07.10.2024	श्रीमान पी.ओ. महोदय अवकाश पर है। कार्यालय– मान.प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्योपुर म.प्र. के कार्य विभाजन आदेश कमांक 30/one-11-1/05(SW Sec) श्योपुर दिनांक 15.05.2024 अनुसार प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत। 13.09.2024. राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री एन.एल. शर्मा एवं श्री एस.एस. जादौन उपस्थित। अभियुक्त मोहन उर्फ मोनू, गोपेश, शिवजीलाल सहित एवं राहुल द्वारा अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित। अनुपस्थित अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा आज की अनुपस्थिति को क्षमा करने विषयत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 317 दं.प्र.सं. का प्रस्तुत किया गया। सुना। आवेदन पत्र में दर्शित कारण प्रथम दृष्टया सद्‌भाविक प्रतीत होने से विचारोपरान्त स्वीकृत। प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 94 बी.एन.एस.एस. के जवाब/तर्क हेतु नियत है। आगामी दिनांक को बचाव पक्ष अधिवक्ता आवश्यक रूप से जवाब/तर्क प्रस्तुत करें। प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 94 बी.एन.एस.एस. के जवाब/तर्क हेतु दिनांक 26.10.2024 को प्रस्तुत किया जावे। वास्ते– अपर सत्र न्यायाधीश, विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)	

Order Sheet [Contd]

Case No. 18 of 2024 S.T.

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
26.10.2024	राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री एन.एल. शर्मा एवं श्री एस.एस. जादौन उपस्थित। अभियुक्त मोहन उर्फ मोनू, गोपेश, शिवजीलाल सहित एवं राहुल द्वारा अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित। अनुपस्थित अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा आज की अनुपस्थिति को क्षमा करने विषयत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 317 दं.प्र.सं. का प्रस्तुत किया गया। सुना। आवेदन पत्र में दर्शित कारण प्रथम दृष्टया सद्‌भाविक प्रतीत होने से विचारोपरान्त स्वीकृत। प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 94 बी.एन.एस.एस. के जवाब/तर्क हेतु नियत है। बचाव पक्ष अधिवक्ता ने उपरोक्त आवेदन के जवाब/तर्क हेतु अवसर चाहा, बाद विचार इस निर्देश पर अवसर दिया गया कि आगामी दिनांक को बचाव पक्ष अधिवक्ता अत्यावश्यक रूप से जवाब/तर्क प्रस्तुत करें। प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 94 बी.एन.एस.एस. के जवाब/तर्क हेतु दिनांक 14.11.2024 को प्रस्तुत किया जावे। राजेन्द्र कुमार दक्षिणी अपर सत्र न्यायाधीश, विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)	
14.[illegible].2024	श्रीमान पी.ओ. महोदय् अवकाश पर है। कार्यालय– मान.प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्योपुर म.प्र. के कार्य विभाजन आदेश कमांक 30/one-11-1/05(SW Sec) श्योपुर दिनांक 15.05.2024 अनुसार प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत। राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री एन.एल. शर्मा एवं श्री एस.एस. जादौन उपस्थित। अभियुक्त मोहन उर्फ मोनू, गोपेश, शिवजीलाल सहित एवं राहुल द्वारा अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित। अनुपस्थित अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा आज की अनुपस्थिति को क्षमा करने विषयत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 317 दं.प्र.सं.	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	का प्रस्तुत किया गया। सुना। आवेदन पत्र में दर्शित कारण प्रथम दृष्टया सद्भाविक प्रतीत होने से विचारोपरान्त स्वीकृत। प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 94 बी.एन.एस.एस. के जवाब/तर्क हेतु नियत है। बचाव पक्ष अधिवक्ता ने उपरोक्त आवेदन के जवाब/तर्क हेतु अवसर चाहा, बाद विचार इस निर्देश पर अवसर दिया गया कि आगामी दिनांक को बचाव पक्ष अधिवक्ता अत्यावश्यक रूप से जवाब/तर्क प्रस्तुत करें। प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 94 बी.एन.एस.एस. के जवाब/तर्क हेतु दिनांक 07.12.2024 को प्रस्तुत किया जावे। वास्ते– अपर सत्र न्यायाधीश, विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)	
07.12.2024	राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री एन.एल. शर्मा एवं श्री एस.एस. जादौन उपस्थित। अभियुक्त गोपेश, शिवजीलाल, राहुल सहित एवं मोहन उर्फ मोनू द्वारा अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित। अनुपस्थित अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा आज की अनुपस्थिति को क्षमा करने विषयत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 317 द.प्र.सं. का प्रस्तुत किया गया। सुना। आवेदन पत्र में दर्शित कारण प्रथम दृष्टया सद्भाविक प्रतीत होने से विचारोपरान्त स्वीकृत। प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 94 बी.एन.एस.एस. के जवाब/तर्क हेतु नियत है। बचाव पक्ष अधिवक्ता ने उपरोक्त आवेदन का जबाव पेश किया, जबाव की प्रति अपरलोक अभियोजक को प्रदाय की गई। उभयपक्ष अधिवक्ता ने तर्क हेतु अवसर चाहा, बाद विचार इस निर्देश पर अवसर दिया गया कि आगामी दिनांक को उभयपक्ष अधिवक्ता अत्यावश्यक रूप से तर्क प्रस्तुत करें। प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 94 बी.एन.एस.एस. पर तर्क हेतु दिनांक 27.12.2024 को प्रस्तुत किया जावे। राजेन्द्र कुमार दक्षणी अपर सत्र न्यायाधीश,	

II—156
C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No. 18 of 2024 S.T.

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
/12/2024	श्रीमान पी.ओ. महोदय शीतलकालीन अवकाश पर है। कार्यालय– मान.प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्योपुर म.प्र. के कार्य विभाजन आदेश कमांक 30/one-11-1/05(SW Sec) श्योपुर दिनांक 15.05.2024 अनुसार प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत। राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री एन.एल. शर्मा एवं श्री एस.एस. जादौन उपस्थित। अभियुक्त गोपेश, शिवजीलाल, मोहन उर्फ मोनू द्वारा एवं राहुल सहित अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित। अनुपस्थित अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा आज की अनुपस्थिति को क्षमा करने विषयत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 317 द.प्र.सं. का प्रस्तुत किया गया। सुना। आवेदन पत्र में दर्शित कारण प्रथम दृष्टया सद्भाविक प्रतीत होने से विचारोपरान्त स्वीकृत। प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 94 बी.एन.एस.एस. के जवाब/तर्क हेतु नियत है। आगामी दिनांक को उभयपक्ष अधिवक्ता अत्यावश्यक रूप से तर्क प्रस्तुत करें। प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 94 बी.एन.एस.एस. पर तर्क हेतु दिनांक 13.01.2025 को प्रस्तुत किया जावे। वास्ते– अपर सत्र न्यायाधीश, विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)	
13/01/2025	श्रीमान पी.ओ. महोदय अवकाश पर है। कार्यालय– मान.प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्योपुर म.प्र. के कार्य विभाजन आदेश कमांक 30/one-11-1/05(SW Sec) श्योपुर दिनांक 15.05.2024 अनुसार प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत। राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री एन.एल. शर्मा एवं श्री एस.एस. जादौन उपस्थित। अभियुक्त गोपेश, शिवजीलाल, मोहन उर्फ मोनू सहित एव राहुल द्वारा सहित अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित। अनुपस्थित अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा आज की अनुपस्थिति को क्षमा करने विषयत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 317 द.प्र.सं.	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
29-01-2025	शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री महेन्द्र भारद्वाज व्ही.सी. के माध्यम से उपस्थित। फरियादी की ओर से अधिवक्ता श्री एन.एल.शर्मा एवं एस.एस.जादौन अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री बी.एम.शर्मा उपस्थित। प्रकरण आवेदन पर अंतर्गत धारा 94 बी.एन.एस.एस. पर तर्क हेतु नियत है। उभयपक्ष अधिवक्ता के उक्त आवेदन पत्र पर तर्क श्रवण किए गए। प्रकरण आवेदन पर अंतर्गत धारा 94 बी.एन.एस.एस. पर आदेश हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो। (राजेन्द्र कुमार दक्षणी) अपर सत्र न्यायाधीश, विजयपुर जिला–श्योपुर (म.प्र.) पुनश्चः–29.01.2025 उभयपक्ष पूर्ववत्। आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि– फरियादी की शिकायत के आधार पर पुलिस विजयपुर द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है तथा 173(8) दण्ड प्रकिया संहिता के	

Order Sheet [Contd]

Case No. ../8. . of 2024. S.T.

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	अंतर्गत विवेचना जारी रखने का कारण अभियोजन द्वारा यह बताया गया है कि जनपद पंचायत कार्यालय विजयपुर से आरोपित फर्मो द्वारा जारी किए गए मूल बिल, दस्तावेज जनपद पंचायत विजयपुर से प्राप्त होना शेष है, जो प्राप्त होने पर न्यायालय में पेश किए जाएंगे। मूल दस्तावेजों रहित अपूर्ण अभियोग पत्र पर से आरोपीगण के विरूद्ध यदि संज्ञान लिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में विचारण के समय मूल दस्तावेजों के अभाव में विचारण प्रकिया विलंबित हो सकती है अथवा आरोपीगण को दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव का लाभ प्राप्त हो सकता है और फरियादी/अभियोजन को न्याय से वंचित होना पड़ सकता है। वर्तमान प्रकरण शासन को करीबन 50 करोड़ रूपए की हानि पहुंचाए जाने से संबंधित है, जिसमें फर्जी बिल जप्त किए जाकर अभियोग प के साथ संलग्न किए जाना न्यायोचित है। पुलिस द्वारा औपचारिक रूप से विवेचना कर बिना मूल दस्तावेजों के शीघ्रता में अभियोग पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः प्रकरण के प्रभावी निराकरण हेतु पुलिस थाना विजयपुर से 1 लगायत 37 के बिलों को तलब किया जाना आवश्यक है। जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि:— पुलिस द्वारा अभियोग पत्र के साथ बिल प्रस्तुत किए हैं। पुलिस द्वारा प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि जनपद से प्राप्त होने पर पेश किए जाएंगे। कथित बिलों को पुलिस थाना विजयपुर से तलब किए जाने का आदेश विधि के प्रावधानों के तहत नहीं किया जा सकता है। आवेदनकर्ता चन्द्रशेखर गौर प्रस्तुत प्रकरण का फरियादी नहीं है तथा पीड़ित या परिवेदित पक्ष भी नहीं है, इस कारण आवेदन पत्र पोषणनीय न होकर प्रचलन योगय नहीं है। फरियादी म0प्र0 शासन है और धारा 301(2) जा.फो. के प्रावधानों के तहत मामले का संचालन करने का अधिकार लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक अधिकारी को है तथा आवेदक मात्र अभियोजक अधिकारी के निर्देश के अधीन कार्य करने की पात्रता रखता है। प्रस्तुत आवेदन लोक अभियोजक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न होने से एवं उनके निर्देश के प्रस्तुत न होने से प्रचलन योग्य नहीं है। आवेदन पत्र अभियोजन	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necess
	अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदन में की गई प्रार्थना विवेचना का पुलिस को निर्देश देने से संबंधित है। धारा 94 बी.एन.एस.एस. में इस प्रकार का कोई विधिक प्रावधान नहीं है। अतः आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया। उभयपक्ष को उक्त आवेदन पत्र पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन करने से अभियोजन की ओर से धारा 94 बी.एन.एस.एस. 2023 का आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों व आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित तथ्यों के मनन करने के उपरांत यह पाता है कि आवेदक के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि पुलिस विजयपुर के द्वारा धारा 173(8) दण्ड प्रकिया संहिता के तहत विवेचना जारी रखते हुए शेष दस्तावेज पेश करने का विकल्प रखते हुए अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार कमांक 1 लगायत 37 तक के ग्राम पंचायतों के बिल प्रकरण में पुलिस के द्वारा पेश नहीं किए गए है, जिन्हें पेश कराए जाने हेतु निवेदन किया है। यहां यह स्पष्ट है कि धारा 94 बी.एन.एस.एस. व धारा 91 दण्ड प्रकिया संहिता में उल्लेखित प्रावधानों के तहत न्यायालय को विचारण के दौरान आवश्यकता होने पर दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश देने का अधिकार उपलब्ध है, परंतु जहां 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस ने यह विकल्प स्वयं के पास रखते हुए थाने के संबंधित अपराध कमांक में आरोपीगण के विरूद्ध अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। ऐसी स्थिति में धारा 91 बी.एन.एस.एस. के तहत पुलिस को न्यायालय की ओर से अन्य दस्तावेज पेश करने के प्रावधान दृष्टिगत नहीं होते हैं। धारा 91 बी.एन.एस.एस. के तहत किसी व्यक्ति या पुलिस के आधिपत्य में कोई दस्तावेज हो तो उन्हें प्रस्तुति का निर्देश दिया जा सकता है। पुलिस को अतिरिक्त विवेचना कर दस्तावेज जब्त कर प्रकरण में प्रस्तुति के निर्देश दिया जाना न तो तर्कसंगत है और न ही विधिसंगत है। वैसे भी आवेदक प्रकरण का फरियादी है, यदि उसके आधिपत्य में उक्त सूची अनुसार 1 लगायत 37 के दस्तावेज हैं और वह यह मानता है कि प्रकरण के विधिपूर्ण निराकरण के लिए वे दस्तावेज आवश्यक है, तो उन दस्तावेजों को वह साक्ष्य के समय अपने साथ लाकर न्यायालय के समक्ष निवेदन कर सकता है कि उक्त दस्तावेजों पर न्यायालय विधिसम्मत तरीके से विचार करे, यदि न्यायालय को विधिसंगत प्रतीत	

II—156
C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No. ..18.. of 20 24 S.T.

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	होता है और दस्तावेज न्याय–निर्णयन में सहयोगी प्रतीत होते हैं, तो न्यायालय दस्तावेजों के संबंध में विधिक निष्कर्ष निकाल सकता है। वर्तमान स्तर पर धारा 94 बी.एन.एस.एस. 2023 का आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है। प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक 07.02.2025 को पेश हो। (राजेन्द्र कुमार दक्षणी) अपर सत्र न्यायाधीश, विजयपुर जिला–श्योपुर (म.प्र.)	
07-02-2025	शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री महेन्द्र भारद्वाज उपस्थित। फरियादी की ओर से अधिवक्ता श्री एन0एल0शर्मा एवं एस0एस0जादौन अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त शिवजीलाल, गोपेश एवं मोहनलाल सहित व शेष अनुपस्थित अभियुक्त राहुल द्वारा अधिवक्ता श्री बी0एम0शर्मा उपस्थित। अनुपस्थित अभियुक्त राहुल की ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 317 जा.फौ./355 बी.एन.एस.एस. पेश किया गया, वाद–विचार स्वीकार किया गया। प्रकरण आरोप पर तर्क हेतु नियत है। अभियुक्तगण अधिवक्ता के आरोप तर्क श्रवण किए गए एवं अभियुक्तगण अधिवक्ता की ओर से आरोप तर्क हेतु लिखित बहस प्रस्तुत की गई। प्रतिलिपि अपर लोक अभियोजन को प्रदान की गई। अपर लोक अभियोजक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत किए जाने हेतु समय चाहा गया, वाद–विचार समय इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि आगामी सुनवाई तिथि पर आवश्यक रूप से लिखित बहस/तर्क प्रस्तुत करें।	शिवजीलाल गोपेश मिश्रा मोहनलाल

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where neces
	अभियुक्तगण अधिवक्ता को आदेशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई तिथि पर अभियुक्तगण को आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रखें। प्रकरण अभियोजन की ओर से आरोप पत्र पर लिखित बहस प्रस्तुति/तर्क हेतु दिनांक 13.02.2025 को पेश हो। (राजेन्द्र कुमार दक्षणी) अपर सत्र न्यायाधीश, विजयपुर जिला–श्योपुर (म.प्र.)	
13.02.2025	राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित। फरियादी की ओर से अधिवक्ता श्री एन0एल0शर्मा व एस0एस0जादौन अधिवक्ता। अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री बी0एम0शर्मा उपस्थित। प्रकरण अभियोजन की ओर से आरोप पत्र पर लिखित बहस प्रस्तुति/तर्क हेतु नियत है। अभियोजन की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत न करना व्यक्त किया गया। उभयपक्ष की ओर से आरोप पत्र पर तर्क श्रवण किये गये। अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा उक्त अभियोग पत्र आरोपीगण के विरूद्ध धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम का अपराध कारित करने के संबंध में भी प्रस्तुत किया गया है। खान एवं खनिज अधिनियम, 1957 की धारा 22 प्रावधान करती है कि No court shall take regnizance of any offence punishable under this Act or any rules made thereunder except upon complaint in writing made by a person authorised in this behalf by the Central Government or the State Government. अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी लिखित परिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप आरोपी के विरूद्ध धारा 4/21 खान एवं खनिज	[handwritten signatures]

II—156
C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No. ..18..of 2024.S.T.

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	अधिनियम, 1957 का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्तगण पर प्रथमदृष्टया धारा **379/34, 414/34, 420 अथवा 420/34, 467 अथवा 467/34, 468 अथवा 468/34, 201, 120—बी भा0दं0स0** का अपराध किया जाना परिलक्षित होता है। अतः अभियुक्तगण पर उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर उसे पढकर सुनाने व समझाने पर अभियुक्तगण के द्वारा अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्तगण की प्ली उसी के शब्दों में अंकित की गयी। अभियुक्तगण ने धारा 294 द.प्र.सं./धारा 330 भा.ना.सु.सं. के तहत अभियोजन के समस्त चालानी प्रपत्रों को अस्वीकार किया गया। अपर लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा विचारण कार्यक्रम प्रस्तुत। विचारण कार्यक्रम अनुसार साक्षी क्रमांक 01 को जर्ये समंस तलब किया जावे। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 18/03/2025 को पेश हो। **(राजेन्द्र कुमार दक्षणी)** अपर सत्र न्यायाधीश, विजयपुर जिला—श्योपुर म.प्र.	
18/03/2025	श्रीमान पी.ओ. महोदय अवकाश पर है। कार्यालय— मान.प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्योपुर म.प्र. के कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 02/one-11-1/05(SW Sec) श्योपुर दिनांक 06.01.2025 अनुसार प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत। राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री एन.एल. शर्मा एवं श्री एस.एस. जादौन उपस्थित। अभियुक्त गोपेश, शिवजीलाल सहित एवं राहुल, मोहन उर्फ मोनू द्वारा अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित। अनुपस्थित अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा आज की अनुपस्थिति को क्षमा करने विषयत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा	गोपेश ... शिवजीलाल ...

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessa
	317 दं.प्र.सं. का प्रस्तुत किया गया। सुना। आवेदन पत्र में दर्शित कारण प्रथम दृष्टया सद्‌भाविक प्रतीत होने से विचारोपरान्त स्वीकृत। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। तामील वापिस प्राप्त नहीं। साक्षी कमांक 01 को पुनः जर्ये समंस आहूत किया जावे। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 22.04.2025 को प्रस्तुत किया जावे। वास्ते– अपर सत्र न्यायाधीश विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)	साक्षी क्र.1 को समंस जारी किया गया
22/04/2025	राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री एन.एल. शर्मा एवं श्री एस.एस. जादौन उपस्थित। अभियुक्त गोपेश, शिवजीलाल एवं राहुल, मोहन उर्फ मोनू सहित अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। साक्षी राजेन्द्र को जारी समंस इस टीप सहित प्राप्त कि साक्षी को जर्ये मोबाइल सूचना देने पर व्ही.सी. माध्यम से उपस्थित होने बावत् कहा। बाद सूचना साक्षी अनुपस्थित। साक्षी राजेन्द्र को जर्ये जमानती वारंट रूपये 500/– से आहूत किया जावे। इसी स्तर पर माननीय सत्र न्यायालय श्योपुर से ई–मेल आदेश पत्रिका दिनांक 25.03.2025 सहित न्यायालय श्री भारत सिंह भंवर, जे.एम.एफ.सी. विजयपुर का प्रकरण कमांक 98/2025 ई.फौ. आरक्षी केन्द्र विजयपुर वि. मोहनलाल आदि प्राप्त। माननीय सत्र न्यायालय श्योपुर की आदेश पत्रिका दिनांक 25.03.2025 तथा पूरक चालान मय दस्तावेज, लंबित इस सत्र प्रकरण 18/2024 से संबंधित होने से उक्त आदेश पत्रिका एवं पूरक चालान मय दस्तावेज, इस सत्र प्रकरण के मर्ज/संयोजित किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है। अतः माननीय सत्र न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 25.03.2025 एवं पूरक चालान मय दस्तावेज, मूल सत्र प्रकरण कमांक 18/2024 में संलग्न किये जाते है, उक्त पूरक चालान की नकलें मय दस्तावेज बचाव पक्ष अधिवक्ता को दिनांक 24.03.2025 को कमिटल न्यायालय के समक्ष प्रदाय की जा चुकी है। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 21.05.2025 को प्रस्तुत किया जावे।	गोपेश शिवजीलाल राहुल साक्षी राजेन्द्र को जमा. वारंट जारी किया

Order Sheet [Contd]

Case No. 18 of 2024 S.T.

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
21/05/2025	श्रीमान पी.ओ. महोदय ग्रीष्मकालीन अवकाश पर है। कार्यालय–मान.प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्योपुर म.प्र. के कार्य विभाजन आदेश कमांक 02/One-11-1/05(SW) श्योपुर, दि. 06.01.2025 तथा तथा विविध आदेश कमांक/22/एक–11–1/05 श्योपुर दिनांक 16.04.2021 अनुसार प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत। राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री एन.एल. शर्मा एवं श्री एस.एस. जादौन उपस्थित। अभियुक्त गोपेश, शिवजीलाल एवं मोहन उर्फ मोनू सहित एवं राहुल द्वारा अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। साक्षी अनुपस्थित। जारी तामील वापिस प्राप्त नहीं। साक्षी राजेन्द्र को पूर्वानुसार आहूत किया जावे। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 16.06.2025 को प्रस्तुत किया जावे। वास्ते–अपर सत्र न्यायाधीश विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)	
16/06/2025	राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री एन.एल. शर्मा एवं श्री एस.एस. जादौन उपस्थित। अभियुक्त गोपेश, शिवजीलाल सहित एवं मोहन उर्फ मोनू, राहुल द्वारा अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित। अनुपस्थित अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री एम.डी. शर्मा द्वारा उसका आज का हाजिरी माफी आवेदन धारा 317 जा.फौ./355 भा.ना.सु.सं. पेश कर अनुपस्थिति से क्षमा करने का निवेदन किया, सुना। आवेदन पत्र में दर्शित कारण सद्भाविक प्रतीत होने से विचारोपरान्त स्वीकृत। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। साक्षी अनुपस्थित। जारी तामील वापिस प्राप्त नहीं। इसी स्तर पर अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता अधिवक्ता श्री एस.एस. जादौन ने उपस्थित होकर आवेदन अंतर्गत धारा 173–8 द.प्र.सं. 19973/193(9) भारतीय न्याय संहिता, 2023 मय न्याय दृष्टांत	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature Parties or Pleade where nece
	के पेश किया, उक्त आवेदन की प्रति बचाव पक्ष अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा को प्रदाय की गई, उक्त अधिवक्त ने जवाब हेतु अवसर चाहा, बाद विचार इस निर्देश पर अवसर दिया गया कि आगामी दिनांक को आवश्यक रूप से उपरोक्त आवेदन का जवाब/तर्क प्रस्तुत करें। प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 173–8 द.प्र.सं. 1973/193(9) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के जवाब/तर्क हेतु दिनांक 10.07.2025 को प्रस्तुत किया जावे। राजेन्द्र कुमार दक्षणी अपर सत्र न्यायाधीश विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)	
10/07/2025	राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री एन.एल. शर्मा एवं श्री एस.एस. जादौन उपस्थित। अभियुक्त मोहन उर्फ मोनू, गोपेश, शिवजीलाल सहित एवं राहुल द्वारा अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित। अनुपस्थित अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता श्री एम.डी. शर्मा द्वारा, उसका आज का हाजिरी माफी आवेदन धारा 317 जा.फौ. /355 भा.ना.सु.सं. पेश कर अनुपस्थिति से क्षमा करने का निवेदन किया, सुना। आवेदन पत्र में दर्शित कारण सद्भाविक प्रतीत होने से विचारोपरान्त स्वीकृत। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। साक्षी अनुपस्थित। जारी तामील वापिस प्राप्त नहीं। बचाव पक्ष अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा ने जवाब हेतु अवसर चाहा, बाद विचार इस निर्देश पर अवसर दिया गया कि आगामी दिनांक को **<u>अत्यावश्यक</u>** रूप से उपरोक्त आवेदन का जवाब/तर्क प्रस्तुत करें। प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 173–8 द.प्र.सं. 1973/193(9) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के जवाब/तर्क हेतु दिनांक 30.07.2025 को प्रस्तुत किया जावे। राजेन्द्र कुमार दक्षणी अपर सत्र न्यायाधीश विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)	

II--156
C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No. ..1.8..of 2024 S.T.

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
30/07/2025	राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता अशोक गर्ग सहित अधिवक्ता श्री एस.एस. जादौन एवं श्री एन.एल. शर्मा उपस्थित। अभियुक्त गोपेश, राहुल, शिवजीलाल सहित एवं मोहन उर्फ मोनू, द्वारा अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित। अनुपस्थित अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता श्री एम.डी. शर्मा द्वारा उसका आज का हाजिरी माफी आवेदन धारा 317 जा.फौ. /355 भा.ना.सु.सं. पेश कर अनुपस्थिति से क्षमा करने का निवेदन किया, सुना। आवेदन पत्र में दर्शित कारण सद्भाविक प्रतीत होने से विचारोपरान्त स्वीकृत। प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 173–8 द.प्र.सं. 1973/193(9) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के जवाब/तर्क हेतु नियत है। बचाव पक्ष अधिवक्ता की ओर से उपरोक्त आवेदन का जवाब पेश किया, जिसकी प्रति विरोधीपक्ष अधिवक्ता को प्रदाय की गई। उभयपक्ष के आवेदन अंतर्गत धारा 173–8 द.प्र.सं. 1973/193(9) भारतीय न्याय संहिता, 2023 पर तर्क श्रवण किये गये। प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 173–8 द.प्र.सं. 1973/193(9) भारतीय न्याय संहिता, 2023 पर आदेश हेतु दिनांक 06.08.2025 को प्रस्तुत किया जावे। राजेन्द्र कुमार दक्षणी अपर सत्र न्यायाधीश विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)	[signatures] राहुल गर्ग, अशोक गर्ग
06-08-2025	राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री एन0एल0शर्मा एवं एस0एस0जादौन उपस्थित। अभियुक्त मोहन उर्फ मोनू, गोपेश, शिवजीलाल सहित व अनुपस्थित अभियुक्त राहुल द्वारा अधिवक्ता श्री बी0एम0शर्मा उपस्थित।	[signatures]

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where nece
	अनुपस्थित अभियुक्त राहुल की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा आज अनुपस्थिति को क्षमा करने बावत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 317 ज़ा0फौ0/धारा 355 बी0एन0एस0 का प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र में दर्शित कारण प्रथमदृष्टया सद्भाविक प्रतीत होने से विचारोपरांत स्वीकृत किया गया। प्रकरण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 173(8) द0प्र0सं0, 1973/193(9) बी0एस0एस0, 2023 पर आदेश हेतु नियत है। आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोगी द्वारा शिकायत के आधार पर अपराध अंतर्गत धारा 379, 414 भा0द0सं0 एवं खान खनिज अधिनियम, 1957 की धारा 4 एवं 21 पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान उपरांत पुलिस थाना विजयपुर द्वारा आरोपीगण मोहन, शिवजी, गोपेश एवं राहुल गर्ग के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 120–बी, 201 भा0द0सं0 की बढोत्तरी की जाकर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में पुलिस द्वारा पूरक अभियोग दिनांक 29.02.2024 को कता किया जाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। पुलिस द्वारा उपरोक्त दोनों अभियोग पत्रों में विवेचना के दौरान पुलिस ने अनुसंधान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को अनदेखा कर दिया है तथा आरोपीगण को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अपूर्ण विवेचना की है। आवेदन इस प्रकार भी है कि वर्तमान प्रकरण में शासन को करीबन 50 करोड़ रूपये की हानि पहुंचाने जाने से संबंधित है, जिसमें फर्जी बिल जप्त किये जाकर अभियोग पत्र के साथ संलग्न किए जाना न्यायोचित है। पुलिस द्वारा औपचारिक रूप से विवेचना कर 37 पंचायतों से अपूर्ण मूल बिल प्राप्त किये गये हैं, जबकि आरोपीगणों द्वारा जनपद पंचायत विजयपुर के क्षेत्रांतर्गत आने वाली करीबन 60 पंचायतों में खनिज पदार्थों का अवैध विक्रय किया गया है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र में उपरोक्त संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य का अभाव है। समस्त पंचायतों से संबंधित फर्मों द्वारा जारी समस्त कूटरचित बिल प्राप्त कर अभियोग पत्र के साथ संलग्न किए जाने पर आरोपीगणों द्वारा शासन को पहुंचायी गयी वास्तविक आर्थिक क्षति का आंकलन हो सकेगा। आरोपीगणों द्वारा करोड़ों रूपये	

Order Sheet [Contd]

Case No. ../.8. .of 20 24. S.T.

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	के खनिज पदार्थों के परिवहन के बिलों का भुगतान प्राप्त किया है। पुलिस द्वारा अभियोग पत्र में अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहनों का कहीं उल्लेख नहीं किया है साथ ही अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहनों की जब्ती हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। आवेदन इस प्रकार भी है कि अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा ग्राम पंचायत बांगरौद से प्राप्त 14 मूल बिलों की जब्ती के आधार पर मूल अभियोग पत्र पेश किया गया। अतिरिक्त विवेचना में इस प्रकार के अन्य बिलों की भी जब्ती की गयी है, उनमें भी इस प्रकार की विसंगतियां है, किंतु उनका स्पष्ट उल्लेख पुलिस द्वारा अभियोग पत्र में नहीं किया गया। प्रकरण में आरोपीगणों द्वारा कई ऐसे बिल जारी किए गए है, जो पूर्णतः कूटरचित है तथा जारी बिलों पर फर्म संचालक के हस्ताक्षर भी कूटरचित है तथा अलग--अलग फर्मों द्वारा जारी किये गये बिलों पर उनके प्रोपराइटर जो कि भिन्न–भिन्न व्यक्ति थे, के हस्ताक्षर एक समान है। अर्थात् एक ही व्यक्ति द्वारा फर्जी रूप से किए है, जिनकी जांच अनुसंधान के दौरान नहीं करायी गयी है। फर्जी बिलों से संबंधित दस्तावेज हस्तलिपि विशेषज्ञ को जांच हेतु प्रेषित किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त वर्णित बिंदुओं पर अतिरिक्त विवेचना करायी जाना न्यायोचित है, अन्यथा अपूर्ण विवेचना एवं अपूर्ण अभियोग पत्र में अनुपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का लाभ आरोपीगण को प्राप्त होगा तथा शासन को हुयी करोड़ों रूपये की हानि की भी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी। अतः आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature Parties or Pleaders where neces...
	अभियुक्तगण अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रकरण में आवेदन प्रस्तुतकर्ता अशोक गर्ग न तो फरियादी है और न ही पीड़ित पक्ष है। प्रस्तुतकर्ता को आवेदन पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। धारा 302 द0प्र0सं0 में अभियोजन का संचालन करने का एकमात्र अधिकार लोक अभियोजक अधिकारी को होता है तथा उक्त धारा में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई पीड़ित पक्ष की ओर से पक्ष समर्थन करना चाहता है, तब वह लोक अभियोजन अधिकारी के अधीनस्थ उनके निर्देशन में ही कार्य कर सकता है। आवेदन पत्र अभियोजन अधिकारी द्वारा पेश नहीं किया गया और न ही आवेदन पत्र अभियोजन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। उक्त आवेदन प्रचलन योग्य नहीं है। उक्त प्रकरण में फरियादी माइनिंग अधिकारी है तथा धारा 173(8) द0प्र0सं0 के तहत न्यायालय को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए पुलिस को आदेशित किये जाने का प्रावधान नहीं है। पुलिस द्वारा अनुसंधान पश्चात् प्रस्तुत प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् अतिरिक्त अनुसंधान के पश्चात् पूरक चालान पेश किया जा चुका है। जवाब इस प्रकार भी है कि न्यायदृष्टांत (2019) 15 एससीआर 936 में जो न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है उसके अनुसार 156(1)(3) के प्रावधान धारा 190 द0प्र0सं0 के तहत अधीन किसी सशक्त किये गये मजिस्ट्रेट से संबंधित है, जिसके अनुसार संज्ञेय मामले की सूचना प्राप्त होने पर अन्वेषण करने के आदेश पुलिस को दे सकते हैं, परंतु जहां अन्वेषण पूर्ण होकर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, तो वहां धारा 156(1)(3) के प्रावधान लागू नहीं होते है। उक्त न्यायदृष्टांत पूरी तरह से भिन्न है और उक्त प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। पूर्व में भी इसी आशय का आवेदन निरस्त किया जा चुका है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र हर्जे के साथ निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। उभयपक्ष को सुना गया।	

II—156
C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No. 18 of 2024 S.T.

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	~~प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन~~ से दर्शित होता है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में भी 173(8) दण्ड प्रकिया संहिता, 1973/धारा 193 द0प्र0सं0 का प्रस्तुत किया गया था, जिसका निराकरण न्यायालय के द्वारा दिनांक 06.08.2024 एवं इसी संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 94 बी0एस0एस0एस0, 2023 का आवेदन पत्र निराकृत किया जाकर आवेदन पत्र निरस्त किये गये हैं। उसके उपरांत आवेदक की ओर से पुनः दिनांक 16.06.2025 को धारा 173(8) दडं प्रकिया संहिता, 1973/धारा 193(9) बी0एस0एस0एस0 का प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में 1 लगायत 5 तक की कडिकाओं में लगभग उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया है, जोकि पूर्व आवेदन पत्र में निराकृत किये जा चुके हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक की ओर से चाहे गये 173(8) द0प्र0सं0/धारा 193(9) बी0एस0एस0एस0 में उल्लेखित दस्तावेज पुलिस विजयपुर के द्वारा अतिरिक्त पूरक चालान के रूप में दिनांक 22.04.2025 को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। इस संबंध **माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत K. Vadivel Versus K. Shanthi & Ors. 2024 SPL Criminal No. 4360 OF 2022** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा चालानी प्रस्तुति के पश्चात् प्रकरण में प्रस्तुत 173(8) सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्रों को अस्वीकार किये जाने के आधार मार्गदर्शित किये हैं। उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक अशोक कुमार गर्ग की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 173(8) दडं प्रकिया संहिता, 1973/धारा 193(9) बी0एस0एस0एस0 सारहीन होने से **निरस्त** किया जाता है। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। अभियोजन साक्षी कमांक–01 राजेन्द्र प्रसाद को जर्ये समंस तलब किया जावे। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 09.09.2025 को पेश हो। (राजेन्द्र कुमार दक्षणी) अपर सत्र न्यायाधीश विजयपुर, जिला श्योपुर म0प्र0	साक्षी क्र.1 को समन्स जारी किया

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where nece

09/09/2025

राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता अशोक गर्ग की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एस. जादौन एवं श्री एन.एल. शर्मा उपस्थित।

अभियुक्त गोपेश, शिवजीलाल सहित एवं मोहन उर्फ मोनू, राहुल, द्वारा अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित।

अनुपस्थित अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा उसका आज का हाजिरी माफी आवेदन धारा 317 जा.फौ./355 भा.ना. सु.सं. पेश कर अनुपस्थिति से क्षमा करने का निवेदन किया, सुना। आवेदन पत्र में दर्शित कारण सद्भाविक प्रतीत होने से विचारोपरान्त स्वीकृत।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

साक्षी राजेन्द्र प्रसाद को जारी समन इस टीप सहित प्राप्त कि'' साक्षी को फोन पर पेशी दी गई, किंतु साक्षी अनुपस्थित।

साक्षीगण को निम्नानुसार आहूत किया जावे:—

<u>प्रथम दिवस दिनांक 29.09.2025</u>

1. राजेन्द्र प्रसाद — जर्ये जमानती वांरट रूपये 500/—

<u>द्वितीय दिवस दिनांक 06.10.2025</u>

1. अशोक गर्ग — जर्ये समन

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 29.09.2025 एवं 06.10.2025 को प्रस्तुत किया जावे।

राजेन्द्र कुमार दक्षणी
अपर सत्र न्यायाधीश
विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)

(साक्षी) राजेन्द्र प्रसाद को जमा. एवं अशोक गर्ग को समन जारी किया।

29/09/2025

श्रीमान् पी.ओ. महोदय अवकाश पर है।

कार्यालय—मान.प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्योपुर म.प्र. के कार्य विभाजन आदेश कमांक 02/One-11-1/05(SW) श्योपुर, दि. 06.01.2025 तथा विविध आदेश कमांक/22/एक—11—1/05 श्योपुर दिनांक 16.04.2021 अनुसार प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत।

राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता अशोक गर्ग की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एस. जादौन एवं श्री एन.एल. शर्मा उपस्थित।

अभियुक्त गोपेश, शिवजीलाल, मोहन उर्फ मोनू, राहुल, सहित अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

साक्षी राजेन्द्र प्रसाद को जारी समन इस टीप सहित प्राप्त

II—156
C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No. ..18..of 20 24 S.T.

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	कि'' साक्षी को जर्ये मोबाइल साक्ष्य हेतु उपस्थिति बावत् सूचना दी गई, व्ही.सी. के माध्यम से उपस्थित होने को कहा'', किंतु साक्षी अनुपस्थित। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु द्वितीय दिवस दिनांक 06.10.2025 को प्रस्तुत किया जावे। वास्ते– अपर सत्र न्यायाधीश विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)	
06/10/2025	राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता अशोक गर्ग की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. शर्मा ने उपस्थित होकर अभियुक्त गोपेश, शिवजीलाल, मोहन उर्फ मोनू, राहुल, सहित अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। इसी प्रक्रम पर श्री के.के. शर्मा अधिवक्ता ने फरियादी/शिकायतकर्ता अशोक की ओर से उपस्थित होकर एक आवेदन अंतर्गत धारा 301 दं.प्र.सं./338(2) बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर अपर लोक अभियोजक के निर्देशाधीन सहायक के रूप में पैरवी करने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया। उक्त आवेदन की प्रति अपर लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष अधिवक्ता को प्रदाय की गई। आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 301 दं.प्र.सं./338(2) बी.एन.एस.एस. के संदर्भ में उभयपक्ष को सुना गया। उक्त आवेदन पत्र फरियादी/पीड़िता की ओर से प्रस्तुत किया गया है। अतः, उपरोक्त आवेदन पत्र न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार कर शासन की ओर से सहायक के रूप में पैरवी करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साक्षी सेवानिवृत शिक्षक अशोक कुमार गर्ग **अ.सा.–01** उपस्थित। उक्त साक्षी को परीक्षण, प्रतिपरीक्षण एवं पुनः परीक्षण पश्चात् उन्मुक्त किया गया। साक्षीगण को निम्नानुसार आहूत किया जावेः– <u>प्रथम दिवस दिनांक 10.11.2025</u> 1. राजेन्द्र प्रसाद जर्ये जमानती वांरट रूपये 1000/–	Acw

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<u>द्वितीय दिवस दिनांक 11.11.2025</u> 1. श्रीमती ममता गर्ग जर्ये समन प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 10.11.2025 एवं 11.11.2025 को प्रस्तुत किया जावे। राजेन्द्र कुमार दक्षणी अपर सत्र न्यायाधीश विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)	साक्षी राजेन्द्र को जमा. एवं ममता गर्ग को समन जारी किया
10/11/2025	राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता अशोक गर्ग की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. शर्मा अनुपस्थित। अभियुक्त गोपेश, शिवजीलाल, मोहन उर्फ मोनू, सहित एवं राहुल, द्वारा अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित। अनुपस्थित अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा आज की अनुपस्थिति को क्षमा करने विषयत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 355 बी.एन.एस.एस. का प्रस्तुत किया गया। सुना। आवेदन पत्र में दर्शित कारण प्रथम दृष्टया सद्भाविक प्रतीत होने से विचारोपरान्त स्वीकृत। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। साक्षी राजेन्द्र प्रसाद को जारी जमा. वारंट निर्वाहोपरांत प्राप्त, किंतु साक्षी अनुपस्थित। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु द्वितीय दिवस दिनांक 11.11.2025 को प्रस्तुत किया जावे। राजेन्द्र कुमार दक्षणी अपर सत्र न्यायाधीश विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)	गोपेश हाजिर शिवजीलाल हाजिर मोहनलाल 355
11/11/2025	राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता अशोक गर्ग की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. शर्मा ने उपस्थित। अभियुक्त गोपेश, मोहन उर्फ मोनू, सहित एवं राहुल, शिवजीलाल, द्वारा अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित। अनुपस्थित अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा उसका आज का हाजिरी माफी आवेदन धारा 317 जा.फौ./355 भा.ना.सु.सं. पेश कर अनुपस्थिति से क्षमा करने का निवेदन किया, सुना। आवेदन ... प्रतीत होने से विचारोपरान्त स्वीकृत।	गोपेश हाजिर मोहनलाल हाजिर 15.12.25

Order Sheet [Contd]

Case No. 18 of 2025 S.T.

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। साक्षी श्रीमती ममता बाद सूचना अनुपस्थित। साक्षीगण को निम्नानुसार आहूत किया जावे:– <u>प्रथम दिवस दिनांक 15.12.2025</u> 1. राजेन्द्र प्रसाद — जर्ये जमानती वांरट रूपये 1000/– 2. श्रीमती ममता गर्ग — जर्ये जमानती वांरट रूपये 500/– <u>द्वितीय दिवस दिनांक 16.12.2025</u> 1. कुलदीप गर्ग — जर्ये समन प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 15.12.2025 एवं 16.12.2025 को प्रस्तुत किया जावे। राजेन्द्र कुमार दक्षणी अपर सत्र न्यायाधीश विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)	साक्षी राजेन्द्र एवं ममता को जमा. एवं कुलदीप को समन जारी किये [illegible]
15/12/25	राज्य द्वारा एजीपी उप। अभियुक्तगण सहित अधि. श्री [illegible] उप। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। साक्षी राजेन्द्र प्रसाद को जारी जमा. वारंट इस टीप सहित प्राप्त कि उक्त साक्षी को फोन द्वारा सूचना दी गयी। साक्षी आरक्षक द्वारा समय पर साक्ष्य हेतु उपस्थित होना बताया। किंतु साक्षी अनुपस्थित। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु द्वितीय दिवस दि. 16/12/25 को प्रस्तुत किया जावे। (राजेन्द्र कुमार दक्षणी) अपर सत्र न्यायाधीश विजयपुर जिला श्योपुर (म.प्र.)	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
16/12/2025	राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता अशोक गर्ग की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. शर्मा ने उपस्थित। अभियुक्त गोपेश, शिवजीलाल सहित एवं राहुल, मोहन उर्फ मोनू, द्वारा अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित। अनुपस्थित अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा उसका आज का हाजिरी माफी आवेदन धारा 317 जा.फौ./355 भा.ना. सु.सं. पेश कर अनुपस्थिति से क्षमा करने का निवेदन किया, सुना। आवेदन पत्र में दर्शित कारण सद्भाविक प्रतीत होने से विचारोपरान्त स्वीकृत। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। साक्षी को जारी तामील वापिस प्राप्त नहीं। साक्षीगण को निम्नानुसार आहूत किया जावे:– <u>प्रथम दिवस दिनांक 15.12.2025</u> 1. राजेन्द्र प्रसाद जर्ये गिरफ्तारी वांरट 2. श्रीमती ममता गर्ग जर्ये गिरफ्तारी वांरट <u>द्वितीय दिवस दिनांक 16.12.2025</u> 1. कुलदीप गर्ग जर्ये समन प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 19.01.2026 एवं 20.01.2026 को प्रस्तुत किया जावे। राजेन्द्र कुमार दक्षणी अपर सत्र न्यायाधीश विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)	साक्षी रामप्रताप एवं ममता का गिर० एवं कुलदीप को समन जारी किया
19/01/2026	राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता अशोक गर्ग की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. शर्मा। अभियुक्त गोपेश, मोहन उर्फ मोनू, सहित एवं राहुल, शिवजीलाल द्वारा अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित। अनुपस्थित अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा उसका आज का हाजिरी माफी आवेदन धारा 317 जा.फौ./355 भा.ना. सु.सं. पेश कर अनुपस्थिति से क्षमा करने का निवेदन किया, सुना। आवेदन पत्र में दर्शित कारण सद्भाविक प्रतीत होने से विचारोपरान्त स्वीकृत। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। साक्षी सहा. खनिज अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद कमलेश **अ.सा.–02** जर्ये व्ही.सी. जिला न्यायालय दमोह के व्ही.सी. कक्ष से उपस्थित। उक्त साक्षी का मुख्य परीक्षण प्रारंभ किया गया, दौराने	

II—156
C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . . . .of 20 . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	मुख्य परीक्षण, उक्त साक्षी ने व्यक्त किया उनके द्वारा कलेक्टर महोदय को अनिल कुशवाह का शिकायती पत्र एवं अन्य शिकायती पत्रों की मूल प्रति जिला कलेक्टर कार्यालय खनिज शाखा श्योपुर में उपलब्ध है, उनकी छायाप्रतिया टी.सी. कर पुलिस थाना विजयपुर को रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की थी, उक्त दस्तोवेजों को खनिज अधिकारी से प्रदर्शित नहीं कराया जा सकता है इस बिंदु पर साक्षी के कथन को सीगित करते हुए साक्षी को दस्तावेजों के संबंध में मूल अभिलेख आगामी दिनांक को न्यायालय में प्रस्तुत करने बावत् कलेक्टर श्योपुर को पत्र लिखा जावे। बाद विचार, अभियोजन को निर्देशित किया जाता है कि वह दस्तावेजों की सूची बनाकर, जिन्हें वह प्रदर्शित कराना चाहते है, को पेश करने पर कलेक्टर जिला श्योपुर को पत्र जारी किया जावे। उक्त साक्षी को इस निर्देश के साथ पाबंद किया गया कि प्रकरण में मूल दस्तावेज अधिक संख्या में है, जिनका व्ही.सी. से मिलान किया जाना/साक्षी को परीक्षित किया जाना संभव नहीं है, अतः साक्षी सहा. खनिज अधिकारी राजेन्द्र सिंह आगामी पेशी पर मूल दस्तावेज, जो कलेक्टर कार्यालय खनिज शाखा श्योपुर से उपलब्ध हो, के सहित प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहें। साक्षी ममता को जारी गिर. वारंट इस टीप सहित प्राप्त कि घर पर तलाश किया तो बीमार होने से इलाज कराने ग्वालियर जाना बताया। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु द्वितीय दिवस दिनांक 20.01.2026 को प्रस्तुत किया जावे। राजेन्द्र कुमार दक्षणी अपर सत्र न्यायाधीश विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)	
20/01/2026	राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता अशोक गर्ग की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. शर्मा उपस्थित। अभियुक्त गोपेश, शिवजीलाल एवं राहुल, मोहन उर्फ मोनू द्वारा अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित। अनुपस्थित अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा उसका आज का हाजिरी माफी आवेदन धारा 317 जा.फौ./355 भा.ना. सु.सं. पेश कर अनुपस्थिति से क्षमा करने का निवेदन किया, सुना।	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

आवेदन पत्र में दर्शित कारण सद्‌भाविक प्रतीत होने से विचारोपरान्त स्वीकृत।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

साक्षी को जारी तामील इस टीप सहित प्राप्त कि साक्षी के पिता को फोन द्वार सूचना दी गई, किंतु साक्षी अनुपस्थित।

साक्षीगण को निम्नानुसार आहूत किया जावे:–

<u>प्रथम दिवस दिनांक 05.02.2026</u>

1. राजेन्द्र प्रसाद — पाबंद
2. श्रीमती ममता गर्ग — जर्ये गिरफ्तारी वांरट

<u>द्वितीय दिवस दिनांक 06.02.2026</u>

1. कुलदीप गर्ग — जर्ये जमा. वारंट रूपये 500/–
2. चन्द्रशेखर गौर — जर्ये समन

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 05.02.2026 एवं 06.02.2026 को प्रस्तुत किया जावे।

राजेन्द्र कुमार दक्षणी
अपर सत्र न्यायाधीश
विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)

05/02/2026

राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता अशोक गर्ग की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. शर्मा।

अभियुक्त गोपेश, शिवजीलाल सहित एवं राहुल, मोहन उर्फ मोनू द्वारा अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित।

अनुपस्थित अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा उसका आज का हाजिरी माफी आवेदन धारा 317 जा.फौ./355 भा.ना.सु.सं. पेश कर अनुपस्थिति से क्षमा करने का निवेदन किया, सुना। आवेदन पत्र में दर्शित कारण सद्‌भाविक प्रतीत होने से विचारोपरान्त स्वीकृत।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

साक्षी सहा. खनिज अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद कमलेश **अ.सा.–02** उपस्थित। उक्त साक्षी को पूर्व से स्थगित कथन दिनांक 19.01.2026 की निरंतरता में पुनः शपथ दिलायी जाकर शेष मुख्य परीक्षण प्रारंभ किया गया। दौराने मुख्य परीक्षण आदेश पत्रिका दिनांक 19.01.2026 आदेशानुसार, असल दस्तावेज प्रस्तुत किये है, जिन्हें साक्ष्य में प्रदर्शित किया गया है, किंतु सम्पूर्ण असल दस्तावेज प्राप्त नहीं होने से उक्त साक्षी का कथन स्थगित किया गया तथा आगा

II—156
C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No. 18 of 2024 S.T.

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण आगामी द्वितीय दिवस दिनांक 06.02.2026 को पूर्व से नियत है, सम्पूर्ण असल दस्तावेज दिनांक 06.02.2026 प्राप्त हो जायेंगे, अतः उक्त साक्षी को उक्त दिनांक हेतु पाबंद किया जाने का निवेदन किया। बाद विचार बचाव पक्ष अधिवक्ता की अनापत्ति पर उक्त साक्षी राजेन्द्र प्रसाद कमलेश को पाबंद कर आगामी दिनांक 06.02.2026 को उपस्थिति बावत् समझाइश दी जाकर छोड़ा गया। साक्षी श्रीमती ममता गर्ग **अ.सा.–03** उपस्थित। उक्त साक्षी को परीक्षण, प्रतिपरीक्षण एवं पुनः परीक्षण पश्चात् उन्मुक्त किया गया। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु द्वितीय दिनांक 06.02.2026 को प्रस्तुत किया जावे। राजेन्द्र कुमार दक्षणी अपर सत्र न्यायाधीश विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)	
06/02/2026	राज्य द्वारा श्री महेन्द्र भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियोजन की ओर से शिकायतकर्ता अशोक गर्ग की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. शर्मा उपस्थित। अभियुक्त गोपेश, मोहन उर्फ मोनू, सहित एवं शिवजीलाल, राहुल, द्वारा अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित। अनुपस्थित अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा उसका आज का हाजिरी माफी आवेदन धारा 317 जा.फौ./355 भा.ना.सु.सं. पेश कर अनुपस्थिति से क्षमा करने का निवेदन किया, सुना। आवेदन पत्र में दर्शित कारण सद्भाविक प्रतीत होने से विचारोपरान्त स्वीकृत। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। साक्षी सहा. खनिज अधिकारी राजेन्द्र कमलेश **अ.सा.–02** उपस्थित। उक्त साक्षी को शेष मुख्य परीक्षण, प्रतिपरीक्षण एवं पुनः परीक्षण पश्चात् उन्मुक्त किया गया। शेष साक्षीगण अनुपस्थित। साक्षीगण को निम्नानुसार आहूत किया जावे:–	6/2/26

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where neces

<u>प्रथम दिवस दिनांक 10.03.2026</u>

1. कुलदीप गर्ग	जर्ये जमा. वारंट रूपये 500 /–
2. चन्द्रशेखर गौर	जर्ये समन

<u>द्वितीय दिवस दिनांक 11.03.2026</u>

1. रामश्री	जर्ये समन

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 10.03.2026 एवं 11.03.2026 को प्रस्तुत किया जावे।

राजेन्द्र कुमार दक्षणी
अपर सत्र न्यायाधीश
विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)

साक्षी कुलदीप को जमा, चन्द्रशेखर, रामश्री को तामील कराई किया

Annexure-6

शिवम वर्मा
आई.ए.एस.
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला श्योपुर (म.प्र.)

फोन: (07530) 220088 (Off.)
(07530) 220089 (Res.)
फैक्स: (07530) 220016
email: dmsheopur@nic.in

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्योपुर (म.प्र.)
अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 9235
श्योपुर, दिनांक 22.07.2022

विषय :– खनन माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करने बावत्।

संदर्भ :– आपके अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 2784/2002/22–12/1 दिनांक 15.06.2022

माननीय सर,

विषयांन्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में अनुरोध है कि श्रीमती ममता गर्ग उपाध्यक्ष भा.ज.पा.मण्डल उपाध्यक्ष विजयपुर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित प्राप्त पत्र मूलतः भेजकर जनपद पंचायत विजयपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक निर्माण कार्य हेतु बिना रायल्टी जमा किये पत्थर, गिट्टी, रेत, मुरम, बोल्डर, हैंदर का उपयोग किया जा कर, फर्जी बिलों के माध्यम से भुगतान प्राप्त किये जाने का शिकायत में लेख किया गया है।

उक्त शिकायत के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विजयपुर से पंचायत निर्माण कार्यों में उपयोगित गौण खनिज की जानकारी लिया गया, उनके प्रतिवेदन अनुसार जनपद पंचायत क्षेत्रान्तर्गत ग्रामपंचायतों में महात्मागांधी रोजगार गारंटी, 15 वां वित्त, स्वच्छ भारत मिशन एवं अन्य योजनाओं के निर्माण कार्य ग्रामपचांयतों द्वारा कराये जाते हैं। ग्रामपंचायतों में सरपंच/प्रधान को निर्माण ऐजेंसी नियुक्त किया जाकर निर्माण ऐजेंसी द्वारा जनपद पंचायत क्षेत्र में फर्मों से निर्माण सामग्री (सीमेंट, गिट्टी, रेत) एवं अन्य क्रय किये जाते हैं जिसके बिल व्हाउचर संबंधित फर्मों से मय जीएसटी सहित अग्रिम बिल महात्मागांधी रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों पर बिल व्हाउचर प्राप्त किये जाते है। क्योंकि मनरेगा के कार्यों का मटेरियल भुगतान कार्य पूर्णता होने के बाद किया जाता है। निर्माण सामग्री स्थानीय रूप से नजदीकी ग्रामपंचायतों में उपलब्ध होने से फर्म क्षेत्रीय किसानों के टेक्टरों से सम्पर्क कर, निर्माण एजेंसी को प्रदाय कराते हैं। खनिज सामग्री के बिल मेंसर्स कैलादेवी ट्रेडर्स, मित्तल ट्रेडर्स एवं एस.एल. ट्रेडर्स द्वारा जारी किये गये है जिसके संबंध में उक्त फर्मों के संचालकों के कथन लिये गये जिसके अनुसार वाहन मालिकों से फर्म संचालकों द्वारा खनिज सामग्री क्रय कर ग्रामपंचायतों को प्रदाय किया गया है और संबंधित पंचायत को बिल प्रस्तुत कर आहरण किया गया है।

सहायक खनि अधिकारी श्योपुर द्वारा दिनांक 12.06.2022 को ग्राम विजयपुर में कैलादेवी ट्रेडर्स, मित्तल ट्रेडर्स एवं एस.एल. ट्रेडर्स के प्रतिष्ठानों की जांच की गई जिसमें मौके पर उक्त तीनों प्रतिष्ठनों में सीमेंट, सरिया एवं सीमेंट चादर के स्टॉक पाये गये। रेत, गिट्टी एवं पत्थर का स्टॉक तीनों स्थानों पर नहीं पाये गये। दुकानदारों के द्वारा बताया गया है कि विजयपुर जनपद अन्तर्गत पंचायत क्षेत्रों में ग्रामपंचायतों द्वारा सार्वजनिक निर्माण कार्यों हेतु गौण खनिज स्थानीय रूप से टेक्टर मालिकों द्वारा प्राप्त किये गये हैं एवं बिल उक्त दुकानदार (फर्म) द्वारा प्रस्तुत किये गये है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास कोई खदान नहीं है, न ही उनके द्वारा कोई उत्खनन कराया गया है। उनके द्वारा केवल बिल जारी किये गये है जिसके आधार पर जनपद पंचायत विजयपुर द्वारा भुगतान किया गया है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जांच किया जा रहा है।

क्रमशः 2

//2//

संलग्न बिलों का अवलोकन करने पर सभी बिल अलग–अलग ग्रामपंचायतों में पंचायत द्वारा सार्वजनिक निर्माण कार्यो हेतु पत्थर, रेत, गिट्टी एवं मुरूम के लिये जारी किये गये है उक्त तीनों दुकानदारों द्वारा जारी किये गये बिलों की जांच असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी/सीजीएसटी ग्वालियर द्वारा किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 3 (तीन) में पंचायत निर्माण कार्य हेतु रायल्टी से छूट के प्रावधान किये गये है जो इस प्रकार है :–

इन नियमों की कोई भी बात – ग्रामपंचायतों, जनपद पंचायतों, जिला पंचायतों तथा जल उपभोक्ता संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक कार्यो के लिये संबंधित पंचायतों तथा जल उपभोक्ता संस्थाओं द्वारा हाथ में लिये गये कार्यो के लिये शासकीय भूमि से निकाले गये गौण खनिज के लिये लागू नहीं होगें तथापि शासकीय विभागों को नियम 10 के उपनियम (3) में निहित राजस्व प्राप्ति शीर्ष के अधीन रायल्टी जमा करना होगी।

मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 4 में पंचायत निर्माण कार्यो हेतु प्रावधान किये गये हैं जिसके नियम 4–छूट– (1) के अनुसार पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा शुरू की गई शासकीय योजना या अन्य लाभप्रद कार्यो (स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि) के लिये निकटतम स्वीकृत रेत खदान से रायल्टी का भुगतान करने के उपरान्त ही रेत प्राप्त की जा सकेगी। पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा जमा की गई रायल्टी की सम्पूर्ण रकम, लदान (लोडिंग) एवं परिवहन को छोड़कर, की वापसी आवश्यक जांच एवं प्रमाणीकरण के आधार पर की जायेगी।

परंतु पंचायत/नगरीय निकाय के लिये कार्य ठेकेदार के द्वारा किये जाते है तो उपरोक्त जमा रायल्टी वापस नहीं की जायेगी।

जिले में चम्बल एवं पार्वती नदी का प्रवाह है उक्त दोनों नदियों का सम्पूर्ण क्षेत्र राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्याण्य के अन्तर्गत आता है और प्रतिबंधित है। अतः जिले में रेत की खदानें स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार शिकायत जनपद पंचायत विजयपुर अन्तर्गत ग्रामपंचायतों में सार्वजनिक कार्यों हेतु बिना रायल्टी जमा किये गौण खनिज उपयोग किये जाने से संबंधित है। ग्रामपंचायतों द्वारा निर्माण कार्यों हेतु स्थानीय स्तर पर गौण खनिज की व्यवस्था की गई है एवं गौण खनिज के बिल स्थानीय फर्मो द्वारा जारी किये गये है जिनकी जांच असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी/सीजीएसटी ग्वालियर में प्रचलित है। मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में पंचायत निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने वाले गौण खनिजों पर रायल्टी से छूट का प्रावधान होने से शासन को राजस्व प्राप्त नहीं होता है। इसलिये खनिज राजस्व नुकसान का प्रश्न हीं नहीं है। अतः प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सादर

"भवदीय"

(शिवम वर्मा)

प्रति,

श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव
अपर सचिव
म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

Annexure-7

कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला श्योपुर (म.प्र.)

क्र./खनि/3–6/शिका./2025/०९८५ श्योपुर दि. 21/08/2025

प्रति,

संचालक,
भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश
29–ए "खनिज भवन" अरेरा हिल्स
भोपाल

विषयः– अपने वाणिज्यक प्रयोजन हेतु अवैध रूप से खनिज पदार्थो का उत्खनन करवाकर क्रय–विक्रय करने वाले फर्म संचालक/ व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही कर, प्रकरण दर्ज करने बावत्।

संदर्भ आपका अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 6394 भोपाल दिनांक 17.06.2025

विषयान्तर्गत पार्श्व में अंकित संदर्भित पत्रों के क्रम में अनुरोध है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा श्योपुर जिले के विजयपुर तहसील अंतर्गत अनावेदक कैलादेवी ट्रेडर्स, मित्तल ट्रेडर्स, एस.एल. ट्रेडर्स की शिकायते प्रशासन के विभिन्न मंचों पर की जा रही है।

शिकायतों की जॉच समय–समय पर तत्तकालीन खनि. निरीक्षक एवं खनि. अधिकारियों द्वारा की गयी है जिसमें पाया गया कि अनावेदक फर्मो द्वारा अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भैतिक रूप से किसी भी प्रकार के खनिजों का भण्डारण नही किया गया है और न ही अनावेदकों द्वारा किसी भी प्रकार के अवैध उत्खनन के संबंध में भौतिक साक्ष्य उपलब्ध कराये है। शिकायत में प्रस्तुत बिलों में कही भी अवैध परिवहन में संलग्न वाहनों के रजि. नंबर का उल्लेख नहीं किया गया है। जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अनावेदकों द्वारा खनिजों का अवैध परिवहन किया गया है।

मध्य प्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के उपनियम 23 में प्रकरण दर्ज करने के लिये एक निश्चित रीति का पालन कर आवश्यक साक्ष्य एवं कार्यवाही जिसमें मौके पर प्रत्यक्ष में भौतिक रूप से (खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण की जब्ती, सुपर्दगी, पंचनामा, विडियोग्राफी, फाटोग्राफी) जैसे साक्ष्य प्राप्त कर कार्यवाही किये जाने के प्रावधान किये गये है किन्तु उक्त प्रकरण में उनके प्रतिष्ठानों/दुकानों पर भौतिक रूप से खनिज सामग्री न होकर सिर्फ सीमेंट एव अन्य निर्माण सामग्री का होना पाया गया है। बिलों के आधार पर खनिज अधिनियमों के तहत् प्रकरण दर्ज करना नियमों में प्रावधान नहीं है।

उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ताओं द्वारा पंचायत निर्माण एंजेसी में सप्लाई किये गये खनिजो की शिकायत की गई है। यहां उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के उपनियम 3 एवं मध्य प्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के नियम 4 के उपनियम (3) में स्थानीय पंचायती निकायों द्वारा सार्वजानिक कार्यो के लिये सरकारी भूमि से उत्खनन किये गये गौण खनिजों के संबधित पंचायतों द्वारा हाथ में लिये गये कार्यो के लिये परिवहन या भण्डारण को अपवादस्वरूप की श्रेणी में रखा गया है जिस कारण से पंचायती कार्यो में प्रयोग किये गये खनिजों की रॉयल्टी अपवंचन का प्रश्न ही नही उठता है।

Mining Sheopur

तत्कालीन प्रभारी खनिज अधिकारी द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि शिकायत में उल्लेखित फर्म संचालक शिकायतकर्ता के रिश्तेदार है। फर्म संचालक की पुत्री रिंकी अग्रवाल का विवाह शिकायकर्ता ममता गर्ग, अशोक गर्ग के पुत्र आकाश गर्ग के साथ 06/02/2018 को हुआ था। फर्म संचालक की पुत्री रिंकी अग्रवाल द्वारा दिनांक 30/04/2022 को अपने पति आकाश अग्रवाल, ससुर अशोक अग्रवाल, सास ममता गर्ग–अग्रवाल के विरूद्व महिला थाना ग्वालियर में एफ0आई0आर0 प्रकरण क्रमांक–108/2022 दर्ज करवायी गयी । जिसमें शिकायतकर्ता के विरूद्व दहेज की मांग, शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना व मारपीट का प्रकरण दर्ज करवाया गया था। इसके अलावा शिकायतकर्ताओं के परिवार के विरूद्व प्रकरण क्रमांक 0441/2021, 0328/2021 के तहत् विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करवाया गया था। जिसके प्रत्युत्तर में शिकायतकर्ता अनावेदकों पर खनिज का मामला बनाकर अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाना चाहता है एवं ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त शिकायतें विद्वेषपूर्ण भावना से की जा रही है, जिसका मात्र उद्‌देश्य अनावेदको से बदला लेना, आपसी राजीनामा, न्यायालयीन प्रकरण वापिस लेने के लिये अनावेदको पर मात्र दवाब बनाना है।

अतः शिकायतकर्ता एवं उनके स्नेहीजनों द्वारा शासन के विभिन्न स्तरो पर की जा रही समस्त शिकायतों को नस्तीबद्व किया जाना उचित होगा ।

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(अर्पित वर्मा)
कलेक्टर
जिला श्योपुर म.प्र.

पंचनामा

हम पंचान आज दिनांक 10/03/2026 को
ग्राम विजयपुर तहसील विजयपुर जिला श्योपुर
में यह पंचनामा लिख देते है कि माननीय राष्ट्रीय
हरित अधिकरण (सेन्ट्रल जोन बेंच) भोपाल के
प्रकरण क्रमांक OA 36/2026 में पारित आदेश दिनांक
09/02/2026 के आदेश के अनुपालन में संयुक्त
जांच की गयी। जिसमें कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में
प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा) श्योपुर एवं क्षेत्रीय
अधिकारी प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड ग्वालियर एवं
अन्य की उपस्थिति में कैलादेवी ट्रेडर्स, मित्तल
ट्रेडर्स एवं एस.एस. ट्रेडर्स, कैलादेवी (राहुल गर्ग)
फर्मों के प्रतिष्ठानों की जांच की गयी। मौके पर
जांच के दौरान संबंधित फर्मों के प्रतिष्ठानों पर
किसी भी प्रकार के खनिज जैसे रेत, गिट्टी के
मौके पर किसी भी प्रकार का स्टॉक होना नहीं
पाया गया। मौके पर आवेदक फर्मों द्वारा
बताया गया कि मेरे फर्मों द्वारा खनिज गिट्टी एवं
रेत का भण्डारण नहीं किया जाता है अपितु
स्थानीय किसानों को के माध्यम से पंचायतों को
खनिज सामग्री प्रदाय की गयी है। मेरे द्वारा माल
बिल जारी गये है। जिसकी पेमेन्ट (राशि) फर्मों
के खाते में गया है। आवेदक फर्म के संचालनकर्ता
द्वारा बताया गया कि किसानों के पास रॉयल्टी थी
या नहीं आज दिनांक में मुझे संज्ञान में नहीं है।
मौके पर शिकायतकर्ता चन्द्रशेखर को कई बार
फोन किये गये एवं मौके पर बुलाया गया
किन्तु शिकायतकर्ता मौके पर उपस्थित नहीं हुये।
हम पंचान उक्त पंचनामे की तस्दीक
करा देते है सो सही है।

(राहुल गर्ग, कैलादेवी ट्रेडर्स)

अमानतगुप्ता (कैलादेवी)

10/03/26

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर
ई-मेल- romppcb_gwalior@rediffmail.com Ph. 0751-2472020

LiFE Lifestyle for Environment

कमांक/ 670 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2026 ग्वालियर, दिनांक 09/03/2026

प्रति,

1. खनिज अधिकारी,
   कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)
   जिला श्योपुर (म.प्र.)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत,
   जिला श्योपुर (म.प्र.) 7879915624
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत विजयपुर,
   जिला श्योपुर (म.प्र.)
4. श्री चन्द्रशेखर गौर,
   निवासी वार्ड नं. 13, मंडी विजयपुर,
   जिला श्योपुर (म.प्र.) 8120046100

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (सेंट्रल जोन बेंच) भोपाल के प्रकरण क्रमांक ओए 36/2026 में पारित आदेश दिनांक 09.02.2026 की संयुक्त जांच में उपस्थित होने विषयक।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय-हरित अधिकरण (सेंट्रल जोन बेंच) भोपाल के प्रकरण क्रमांक ओए 36/2026 में पारित आदेश दिनांक 09.02.2026 की संयुक्त जांच दिनांक 10.03.2026 को 12.30 बजे की जाना नियत है। सभी संबंधितों से अनुरोध है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजयपुर के कार्यालय में नियत दिनांक व समय पर दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का अनुरोध है। उक्त के अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत विजयपुर, श्योपुर से अनुरोध है कि पंचायत अधिकार क्षेत्र में किये गये कार्यों में उपयोग की गयी अवैध खनिज की मात्रा का विवरण उपलब्ध करवायें ताकि अवैध उत्खनन से उत्पन्न रायल्टी और अन्य वैधानिक देय राशि के आंकलन हेतु संबंधितों द्वारा कार्यवाही की जा सके। शिकायतकर्ता ने शिकायत में यह भी उल्लेख किया है कि अवैध खनन अभी भी जारी है, इस हेतु भी स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया जाना है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला श्योपुर की ओर लेख है कि संबंधितों को माननीय एनजीटी के आदेशानुसार प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध है, ताकि जानकारी तैयार कर माननीय एनजीटी में प्रेषित की जा सके।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर
ई-मेल- romppcb_gwalior@rediffmail.com Ph. 0751-2472020

107

LiFE Lifestyle for Environment

कमांक/ 887 क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2026 ग्वालियर, दिनांक 25/3/2026

एनजीटी प्रकरण अतिआवश्यक

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत श्योपुर,
जिला-श्योपुर (म.प्र.) ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत विजयपुर,
श्योपुर (म.प्र.) ।

विषयः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (सेन्ट्रल जोन बेंच) भोपाल के प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 36/2026 में पारित आदेश दिनांक 09.02.2026 की संयुक्त जॉच में उपस्थित होने विषयक ।

संदर्भः आपका पत्र क्रमांक/ज.प./2026/1038 विजयपुर दिनांक 10/03/2026

संदर्भित पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। माननीय एनजीटी में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने का अनुरोध है ताकि जबाव तैयार कर माननीय एनजीटी में नियत समय में प्रस्तुत किया जा सके। उक्त प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 10.04.2026 नियत है। अतः अनिवार्य रूप से वांछित जानकारी दिनांक 26/03/2026 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने का अनुरोध है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-11

कार्यालय जनपद पंचायत विजयपुर जिला श्योपुर(म.प्र.)

ceojpvij@rediff mail.com

क्रमांक / ज.प. / 2026 / 1038 विजयपुर दिनांक 10/3/26

प्रति

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
दीनदयाल नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ग्वालियर

विषय :— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (सेंट्रल जोन बेंच) भोपाल के प्रकरण क्रमांक ओए 36 / 2026 में पारित आदेश दिनांक 09.02.2026 की संयुक्त जॉच में उपस्थित होने विषयक ।

सन्दर्भ :— क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का पत्र क्रमांक / 670 / क्षेकाप्रनिवो / ग्वा / 2026 ग्वालियर दिनांक 09.03.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके द्वारा दिनांक 10.03.2026 को कार्यालय में जॉच हेतु प्रस्तुत हुये और जनपद पंचायत विजयपुर के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो में उपयोग की गई एवं शिकायत में फर्म कैलादेवी ट्रेडर्स, कैलादेवी ट्रेडर्स, एस.एल.ट्रेडस, मित्तल ट्रेडर्स से क्रय किये गये खनिज की मात्रा एवं राशि का आकंलन किया जाना है। चूकि उक्त जानकारी वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक की है । जानकारी वृहद स्तर की होने से विभिन्न योजनाओं के पोर्टलों एवं ग्राम पंचायतों से संकलित की जाकर दी जा सकती है जिस हेतु अधिक समय लगेगा ।

अतः उक्त जानकारी आपको दिनांक 30 मार्च 2026 तक दी जा पाना संभव होगी ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत विजयपुर

क्रमांक / ज.प. / [redacted] / 2026 / 1039 विजयपुर दिनांक 10/3/26

प्रतिलिपिः—

1. श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला श्योपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महोदया जिला पंचायत श्योपुर की ओर सादर सूचनार्थ

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत विजयपुर

9 MGNREGS AAO 2026